34

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

['आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की माँगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

चौंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन 1944 (शक)

चौंतीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)
रक्षा मंत्रालय

['आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की माँगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।
21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ फाल्गुन 1944 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

समिति (2022-23) की संरचना		4
प्राक्कथन		6
अध्याय एक	प्रतिवेदन.....	7
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें/जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	22
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	49
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं	50
अध्याय पाँच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतिम उत्तर प्रतीक्षित हैं	52

<u>परिशिष्ट</u>

एक.	रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की 16.03.2023 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	53
दो.	'आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की माँगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	56

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा	
2.	श्री नितेश गंगा देब
3.	श्री राहुल गांधी
4.	श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
5.	श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6.	चौधरी महबूब अली कैसर
7.	श्री सुरेश कश्यप
8.	श्री रतन लाल कटारिया
9.	डॉ. रामशंकर कठेरिया
10.@	श्री डी.एम. कथीर आनन्द
11.	कुंवर दानिश अली
12.	डॉ. राजश्री मल्लिक
13.*	श्री एन. रेड्डप्पा
14.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी
15.	श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
16.	श्री जुगल किशोर शर्मा
17.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
18.	श्री प्रताप सिम्हा
19.	श्री बृजेन्द्र सिंह
20.	श्री महाबली सिंह
21.	श्री दुर्गा दास उइके
राज्य सभा	
22.	डॉ. अशोक बाजपेयी
23.	श्री प्रेम चंद गुप्ता
24.	श्री सुशील कुमार गुप्ता
25.	श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा
27.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28.	श्रीमती पी.टी. उषा
29.	श्री जी. के. वासन
30.	ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
31.	श्री के. सी. वेणुगोपाल

@ 08.12.2022 से नामनिर्दिष्ट।

* **16.11.2022** से नामनिर्दिष्ट।

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर और श्री श्रीधर कोटागिरी, संसद सदस्य, लोकसभा 16.11.2022 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव
4.	श्री राजेश कुमार	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' के संबंध में यह चौतीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. उनतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) को 16 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया । इसमें 28 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई, 2022 में सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई उत्तर भेज दिये हैं।

3. समिति ने 16 मार्च, 2023 को हुई बैठक में इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

नई दिल्ली; **जुएल ओराम**
17 मार्च, 2023 **सभापति**
26 फाल्गुन, 1944 (शक) **रक्षा संबंधी स्थायी समिति**

प्रारूप प्रतिवेदन

अध्याय - एक

रक्षा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन 'आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं)- नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं.20) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है जिसे 16 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

2. समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में निम्नलिखित विषयों से संबंधित 28टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं:-

पैरा सं	विषय
आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं)- नए डीपीएसयू	
1-2	पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियां
3-4	अनुमानित लाभ, बचत और लागत में कमी
5	ऑर्डर बुक की स्थिति
6	श्रमशक्ति
7	स्वदेशीकरण
8	अनुसंधान और विकास व्यय
9	निर्यात
10	नए डीपीएसयूके समक्ष चुनौतियां
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	
11	बजट
12	अनुसंधान और विकास व्यय
13	श्रमशक्ति
14	निजी उद्योग की भागीदारी
15-16	उत्कृष्टता केंद्र और विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग
17-18	ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात
19	तेजस एलसीए और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) का स्वदेशीकरण

गुणता आश्वासन महानिदेशालय	
20	बजट
21-23	निरीक्षण और गुणता आश्वासन
राष्ट्रीय कैडेट कोर	
24	बजट
25	सशस्त्र बलों, डीपीएसयू और निजी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रोजगार
26	एनसीसी और एसएफएस योजना का विस्तार
27	एनसीसी में प्रशिक्षक
28	सशस्त्र बलों में एनसीसी कैडेटों की कम चयन दर

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 28 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर सरकार से प्राप्त हो गए हैं। उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (अध्याय दो):

पैरा सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24,25,26,27,28

(कुल -27)

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है (अध्याय तीन):

पैरा सं. शून्य

(कुल -शून्य)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं (अध्याय चार):

पैरा सं. 12

(कुल -01)

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार द्वारा अंतिम उत्तर प्रतीक्षित हैं (अध्याय पांच):

पैरा सं.शून्य

(कुल -शून्य)

4. समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में की गई टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण यथाशीघ्र उन्हें प्रस्तुत किए जाए।

5. समिति अब अनुवर्ती पैराओं में उनतीसवें प्रतिवेदन में की गई कुछेक टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी।

आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं)- नए डीपीएसयू

क. अनुमानित लाभ, बचत और लागत में कमी

सिफारिश (पैरा सं. 3 और 4)

6. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति को इस बात से खुशी है कि यद्यपि नवसृजित डीपीएसयू हाल ही में कारपोरेट संस्थाएं बन गए हैं, फिर भी उन्होंने लाभप्रदता की प्रवृत्ति दिखानी शुरू कर दी है जिसे भविष्य में भी बनाए रखने की आवश्यकता है । समिति बहुत स्पष्ट और सटीक रूप से जानना चाहती है कि क्या ये लाभ बुक एडजेस्टमेंट है या परिचालन लाभ हैं । विचार-विमर्श के दौरान, समिति को अवगत कराया गया कि 2018-19 के दौरान, एमआईएल को 973 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 1295 करोड़ रुपए और 2020-21 में 1796 करोड़ रुपए हो गया। एमआईएल ने 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 के लिए 42.82 करोड़ रुपए के लाभ की आशा जताई है। इसी तरह, 2018-19 के दौरान, एवीएनएल को 152 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 1295 करोड़ रुपए और 2020-21 में 554 करोड़ रुपए हो गया, एवीएनएल ने इसी अवधि के लिए 33.06 करोड़ रुपए के लाभ की भी आशा जताई। एक अन्य डीपीएसयू, आईओएल को 2020-21 में 69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, हांलाकि इसने 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए 54.64 करोड़ रुपए के लाभ की आशा जताई। 2018-19 के दौरान, वाईआईएल को 588 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 695 करोड़ रुपए और 2020-21 में 806 करोड़ रुपए हो गया । वाईआईएल ने 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए 76.69 करोड़ रुपए के कम नुकसान के साथ बेहतर प्रदर्शन दिखाया । 2018-19 के दौरान, एडब्ल्यूईआईएल को 494 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो 2019-20 में बढ़कर 846 करोड़ रुपए और 2020-21 में 1051 करोड़ रुपए हो गया । एडब्ल्यूईआईएल ने उपरोक्त अवधि के लिए 6.58 करोड़ रुपए का लाभ भी दिखाया। इसी तरह, 2018-19 के दौरान जीआईएल को 73 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 97 करोड़ रुपए और 2020-21 में 92 करोड़ रुपए हो गया, जीआईएल ने 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए 1.17 करोड़ रुपए का लाभ भी दिखाया । 2018-19 के दौरान, टीसीएल को 221 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो 2019-20 में बढ़कर 379 करोड़ रुपए और 2020-21 में 229 करोड़ रुपए हो गया, टीसीएल ने 1 अक्तूबर से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए 24.70 करोड़ रुपए का लाभ की भी उम्मीद जताई।

मंत्रालय द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि ये नए उपक्रम 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच की अवधि के लिए बचत दिखा रहे हैं या एमआईएल के मामले में न्यूनतम 7.4 प्रतिशत और आईओएल के मामले में 59.42 प्रतिशत तक की अपनी लागत कम कर रहे हैं । कुल मिलाकर इन उपक्रमों में 92.43 करोड़ रुपए की बचत हुई थी । समिति समझती है कि ये डीपीएसयू प्रारंभिक अवस्था में हैं और सरकार और प्रबंधन इन इकाइयों को व्यवहार्य और लाभप्रद बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं । समिति आशा व्यक्त करती है कि भविष्य में लाभ वृद्धिशील हो जाएगा और डीपीएसयू राष्ट्र की प्रगति के लिए पुराने डीपीएसयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे । समिति प्रत्येक नवगठित निगम द्वारा अपनी विकास और लाभ को बनाए रखने के लिए तैयार की गई योजना/रूपरेखा/समय-सीमा से अवगत होना चाहेगी।"

7. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में इस प्रकार बताया है:

"नई कारपोरेट कंपनियों ने अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने और लागत कम करने के लिए कई उपाए शुरू किए हैं । लागत कम करने पर ध्यान देने के साथ इन कंपनियों ने आरंभिक 6 महीनों में समयोपरि और गैर-उत्पादन संबंधी कार्यकलापों जैसे क्षेत्रों में लगभग 9.48 प्रतिशत अनंतिम संचयी बचत की जानकारी दी है ।

सात नए डीपीएसयू में से छह ने अपने कारोबार के पहले 6 महीनों अर्थात 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के दौरान अनंतिम लाभ की जानकारी दी है । यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) को छोड़कर अन्य सभी डीपीएसयू - म्यूनिशन्स इंडिया लि. (एमआईएल), बख्तरबंद वाहन निगम लि. (अवनी), उन्नत हथियार एवं उपस्कर इंडिया लि. (एडब्ल्यूई इंडिया), ट्रूप कंफर्ट लि. (टीसीएल), इंडिया ऑप्टेल लि. (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लि. (जीआईएल) ने अनंतिम लाभ की जानकारी दी है । इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**नई रक्षा कंपनी**	**गत तीन वर्षों के दौरान औसत छह माह का लाभ(+)/हानि(-)**	**अनंतिम लाभ(+)/हानि(-)(01 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक)**
1	एमआईएल	-677.33	+28.00
2	एवीएनएल	-164.33	+85.12
3	आईओएल	-5.67	+60.44
4	वाईआईएल	-348.17	-111.49
5	एडब्ल्यूईआईएल	-398.50	+4.84
6	जीआईएल	-43.67	+1.32
7	टीसीएल	-138.17	+26.00

मंत्रालय द्वारा समय पर हस्तक्षेप, यदि जरूरत हो, करने के लिए नए डीपीएसयू के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जी रही है, ताकि ओएफबी के निगमीकरण के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

8. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई उत्तर से, समिति ने नए कारपोरेट संस्थाओं द्वारा अपने संसाधनों के इष्टतम उपयोग और लागत में कमी लाने की दिशा में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों को नोट किया है, जिसके कारण इन सभी सात कंपनियों ने प्रारंभिक छह महीनों के दौरान ओवरटाइम और गैर-उत्पादन गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में लगभग 9.48 प्रतिशत की अनंतिम संचयी बचत की जानकारी दी है। समिति ने यह भी बताया कि यंत्र इंडिया लिमिटेड को 111.49 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने लाभ में क्रमशः 4.84 करोड़ रुपये और 1.32 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि की।

समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि निगमीकरण के बाद छः डीपीएसयू ने लाभ की सूचना दी है। समिति को आशा है कि यंत्र इंडिया लिमिटेड भी आने वाले वर्षों में एक लाभदायक इकाई बनने के लिए अन्य सहयोगी कंपनियों का अनुसरण करेगी। इस संबंध में समिति यह बताना चाहेगी कि क्या इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कंपनी द्वारा कोई रूपरेखा तैयार की गई है। वे चाहेंगे कि की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय इसे समिति के साथ साझा किया जाना चाहिए। समिति भविष्य में सभी सात डीपीएसयू द्वारा और अधिक निरंतर अच्छे प्रदर्शन की भी आशा करती है।

ख. स्वदेशीकरण

सिफारिश (पैरा संख्या 7)

9. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"अनुदान मांगों की जांच के दौरान नवगठित डीपीएसयू के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर, उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का स्वदेशीकरण प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है । म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड में वर्तमान स्वदेशीकरण सामग्री 95 प्रतिशत है । बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) में बीएमपी-दो के लिए टी-90 टैंक और यूटीडी-20 इंजन को छोड़कर, जिनमें स्वदेशीकरण सामग्री क्रमशः 80.1 प्रतिशत और 83.04 प्रतिशत है, एडब्ल्यूईआईएल के अन्य सभी उत्पादों में 95 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण प्रतिशत है । यंत्र इंडिया लिमिटेड में शत प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है और एडब्ल्यूईआईएल, आईओएल में भी 90 प्रतिशत से अधिक का स्वेदशीकरण प्रतिशत है । समिति को उम्मीद है कि बहुत सावधानीपूर्वक आयोजना और विवेकपूर्ण उत्पादन और विपणन प्रबंधन प्रणालियों के साथ, सभी डीपीएसयू में 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री होगी, विशेष रूप से

'धनुष' जैसे उत्पादों में । समिति चाहती है कि इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए/नियोजित उपायों पर उसके समक्ष एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाए ।"

10. मंत्रालय ने की गई कार्रवाई के अपने उत्तर में निम्नवत कहा है:

"सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने रक्षा उपस्करों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों को अपनाया है जो निम्नलिखित हैं:-

- मेक-दो
- आईडेक्स
- सृजन रक्षा पोर्टल
- जटिल प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण करके आयात प्रतिस्थापन पर जोर देते हुए इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं
- स्वदेशी मदों के विकास और आपूर्ति के लिए घरेलू रक्षा उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन/गठजोड।

नवनिर्मित डीपीएसयू द्वारा शतप्रतिशत स्वदेशीकरण मात्रा प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय/योजनाएं इस प्रकार हैं:

डीपीएसयू	स्वदेशीकरण की मात्रा
एवीएनएल	टैंक टी-72 और टी-90 के लिए इंजनों का शतप्रतिशत स्वदेशीकरण किया जा चुका है और टैंक टी-72 एवं इंफेंट्री कम्बैट वाहन बीएमपी-दो/2के में स्वदेशीकरण की मात्रा क्रमश: 96 प्रतिशत एवं 98.5 प्रतिशत है । इसके अलावा, वर्तमान में आयात किए जा रहे अन्य प्लेटफार्मों के लिए उप-प्रणालियों, संघटकों और उप-असेंबलियों के स्वदेशीकरण के लिए एवीएनएल ने कार्रवाई आरंभ कर दी है ।
एमआईएल	एमआईएल के उत्पादों में स्वदेशीकरण की मात्रा लगभग 95 प्रतिशत है। तथापि, मेक-एक व मेक-दो, आईडेक्स एवं सृजन रक्षा पोर्टल तथा इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से शत-प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
एडब्ल्यूईआईएल	155 मिमी X 45 कैलीबर आर्टिलरी गन सिस्टम "धनुष" का प्रयोक्ता द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है । नवल गन एके 630 और टैंक टी-90 के लिए संघटक 94 प्रतिशत से भी अधिक स्वदेशीकृत हैं।
वाईआईएल	वाईआईएल के उत्पादों में स्वदेशीकरण की मात्रा शतप्रतिशत है।
टीसीएल	टीसीएल द्वारा विनिर्मित मदें पहले से ही शतप्रतिशत स्वदेशी हैं। तथापि, टीसीएल ने ऐसे स्टोर्स की मेक-दो के अंतर्गत स्वदेशीकरण

	करने के लिए पहचान की है, जिनका भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा वर्तमान में आयात किया जा रहा है।
आईओएल	आईओएल ने टी-72 एवं बीएमपी-दो प्लेटफार्मों के लिए साइटिंग एवं अग्निशमन प्रणालियों को पूर्ण रूप से स्वदेशीकृत किया है। आईओएल वर्तमान में आयात किए जा रहे अन्य संघटकों एवं उप असेंबलियों के मेक-एक, मेक-दो, आईडेक्स एवं सृजन पोर्टल के अंतर्गत स्वदेशीकरण किए जाने के प्रयास कर रहा है।
जीआईएल	जीआईएल के उत्पादों में स्वदेशीकरण की मात्रा शतप्रतिशत है।

11. समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि नए डीपीएसयू द्वारा निर्मित उत्पादों में 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण सामग्री प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए/नियोजित उपायों पर एक, विशेष रूप से 'धनुष' 155 मिमीx45 कैलिबर गन जैसे रणनीतिक महत्व के आयुध के संबंध में एक विस्तृत टिप्पण प्रस्तुत किया जाए। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई के उत्तरों का अध्ययन करने के बाद, समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये डीपीएसयू 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में एवीएनएल, एमआईएल और एवीईएल ने उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का 94 प्रतिशत से 96 प्रतिशत स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है। यहां तक कि आईओएल ने टी -72 और बीएमपी-दो प्लेटफार्मों के लिए दृष्टि और अग्नि नियंत्रण प्रणालियों को पूरी तरह से स्वदेशीकृत कर दिया है। यह मेक-एक, मेक-दो, आईडीईएक्स और सृजन पोर्टलों के तहत वर्तमान में आयात किए जा रहे अन्य घटकों और उप-असेंबलियों के स्वदेशीकरण के लिए भी प्रयास कर रहा है। उनके द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत करते हुए, समिति दोहराती है कि एवीएनएल, एमआईएल, आईओएल और एवीईएल को उप-प्रणालियों, घटकों के आयात प्रतिस्थापन को विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

ग. आर एंड डी व्यय

सिफारिश (पैरा संख्या 12)

12. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति इस चिंता के साथ नोट करती है कि पिछले वर्षों के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यय के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दरअसल 2016-17 में प्रतिशत 0.088 फीसदी था, जो 2020-21 में घटकर 0.083% फीसदी हो गया है। कुल रक्षा व्यय की तुलना में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय का विश्लेषण करते हुए, यह चीन जैसे अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम पाया गया जो अपने रक्षा बजट की तुलना में अनुसंधान एवं विकास पर अपने संबंधित बजट का 20% और यूएसए 12% खर्च कर रहे हैं। समिति का विचार है कि वर्तमान में

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए, जहां दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के कारण खतरे की धारणा बढ़ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा हित को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा अनुसंधान के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि रणनीतिक परियोजनाओं को पूरे जोश के साथ शुरू किया जा सके।"

13. मंत्रालय ने की गई कार्रवाई के अपने उत्तर में निम्नवत कहा है:

"बजट अनुमान 2022-23 में 21,330.20 करोड़ रुपये की राशि (यानी बजट अनुमान 2021-22 से 1,722.76 करोड़ रुपये की वृद्धि) डीआरडीओ को आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रालयों में रक्षा व्यय सबसे बड़ा व्यय है। चूंकि, सरकारी संसाधन निश्चित लागत के साथ आते हैं, संसाधनों का आवंटन विभिन्न प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के मध्य किया जाता है। इस प्रकार, डीआरडीओ के लिए जीडीपी का एक निश्चित प्रतिशत रखना या अन्य देशों के साथ आर एंड डी बजट की तुलना करना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं होगा कि संसाधनों का आवंटन आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। वर्ष के दौरान व्यय के आधार पर, लंबित प्रतिबद्ध देनदारियां और महत्वपूर्ण/परिचालन संबंधी आवश्यकताएं, खतरे की धारणा आदि, पूरक/आरई स्तर पर अतिरिक्त निधि की मांग की जाती है। समय-समय पर वित्तीय सलाहकार(रक्षा सेवाएं)/सचिव(रक्षा वित्त) और रक्षा सचिव द्वारा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजटीय आवंटन का उपयोग किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं कि आवंटित धन का परिचालन गतिविधियों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाए। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो पुनःप्राथमिकता निर्धारण के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाता है कि रक्षा सेवाओं की परिचालन तैयारियों से कोई समझौता किए बिना तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताएं हासिल की जाएं।"

14. समिति ने मूल प्रतिवेदन में इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की थी कि पिछले वर्षों के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यय के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। वास्तव में, वर्ष 2020-21 में प्रतिशत में कमी आई थी। समिति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि कुल रक्षा व्यय की तुलना में अनुसंधान और विकास पर व्यय अन्य विकसित देशों जैसे चीन की तुलना में बहुत कम पाया गया था, जो अपने रक्षा बजट की तुलना में अनुसंधान और विकास पर अपने संबंधित बजट का 20% खर्च कर रहा था, और संयुक्त राज्य अमेरिका, अपने संबंधित बजट का 12% खर्च कर रहा था।

समिति का विचार है कि समुद्री ड्रोन और अंतरिक्ष युद्ध सहित ड्रोन जैसी नई युद्ध प्रणालियां दुनिया को आश्चर्यचकित कर रही हैं और हाल के दिनों में दुनिया भर में ऐसी प्रणालियों की प्रभावशीलता और विनाशकारी शक्ति के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। इसलिए, वे दोहराते हैं कि नए युग की हथियार प्रणालियों के साथ-साथ प्रणालियों को बेहतर बनाने और

विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में बजट बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है जो विभिन्न स्रोतों के हमलों से बचा सकते हैं।

घ. तेजस एलसीए और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) का स्वदेशीकरण

सिफारिश (पैरा संख्या 19)

15. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों के साक्ष्य के दौरान, समिति को सूचित किया गया था कि तेजस एलसीए और अर्जुन एमबीटी में क्रमशः भारतीय वायुसेना और सेना द्वारा कुछ सुधारों का सुझाव दिया गया था और उन सुधारों का उपयोगकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन कर उन्हें सफलतापूर्वक शामिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी का अध्ययन करने के बाद, समिति ने पाया कि अर्जुन एमबीटी के संबंध में मिसाइल के प्रावधान का मुद्दा अभी भी लंबित है। समिति समझती है कि उचित मिसाइल गोला बारूद, टैंक की फायरिंग क्षमता के बिना सेना प्रभावी ढंग से सेवा देने में सक्षम नहीं होगी। समिति चाहती है कि डीआरडीओ अर्जुन एमबीटी के लिए मिसाइल के त्वरित प्रावधान के लिए समाधान लेकर आए। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि एचएएल को डीआरडीओ द्वारा विकसित 83 एलसीए तेजस के उत्पादन का आदेश मिला है। समिति ने सिफारिश की है कि और अधिक प्रयास किए जाएं ताकि निकट भविष्य में एलसीए तेजस के उन्नत और घातक संस्करणों को पेश किया जा सके। साथ ही समिति यह भी सिफारिश करेगी कि एचएएल को इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार क्षेत्रों की आवश्यकताओं के साथ खुद को तैयार रखना चाहिए ताकि जैसे ही स्थिति बने वह मित्र देशों को निर्यात के लिए विमानों के विनिर्माण की स्थिति में हो।"

16. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नलिखित बताया:

"यह सूचित किया जाता है कि प्रयोक्ता द्वारा अपेक्षित मिसाइल फायरिंग क्षमता की आवश्यकता एमबीटी अर्जुन मार्क II में थी। 2013 के दौरान आयोजित उपयोगकर्ता परीक्षण में एमबीटी अर्जुन मार्क II मुख्य गन से मिसाइल फायरिंग क्षमता साबित हो चुकी है। हालांकि, कम दूरी में एमबीटी अर्जुन मार्क II से दागी गई मिसाइल मिसाइल की कुछ समस्याओं के कारण स्वीकृति मानदंडों को पूरा नहीं कर सकी। इसके अलावा 2018 में उपयोगकर्ता ने एमबीटी अर्जुन मार्क II से मिसाइल फायरिंग को अलग कर दिया है और टैंक का नाम बदलकर एमबीटी अर्जुन मार्क 1 ए कर दिया गया है और उपयोगकर्ता ने 118 एमबीटी अर्जुन मार्क 1 ए की खरीद की आवश्यकता को आगे बढ़ाया है और उसके बाद 118 एमबीटी अर्जुन मार्क 1 ए की आपूर्ति के लिए 10 जनवरी

2022 को एवीएनएल/एचवीएफ पर 10378.326 करोड़ रुपये (4 साल ईएसपी और प्रशिक्षण सहायता और समुच्चय सहित 118 टैंक) की लागत पर अनुबंध प्रस्तुत किया गया है।

एआरडीई/डीआरडीओ एमबीटी अर्जुन के लिए मिसाइल विकसित कर रहा है जो डीआरडीओ के परीक्षण चरणों में है। तदनुसार इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम को चयनित और एकीकृत करना होगा।

(क) भारतीय वायु सेना के लिए एलसीए एएफ मार्क-2
एलसीए एएफ मार्क-2 जो कि एलसीए मार्क 1 से बेहतर है, क्षमता वाला और अधिक शक्तिशाली और घातक विमान है। एलसीए मार्क 1 की तुलना में एलसीए मार्क 2 संस्करण की रेंज और सहनशक्ति काफी अधिक है। यह एलसीए मार्क 1 के 3.5 टन के मुकाबले 6.5 टन तक पेलोड ले जा सकता है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली भारी और सटीक गाइडेड स्टैंडऑफ हथियारों को ले जाने में सक्षम है जो इन हथियारों के अधिक वजन और आकार के कारण एलसीए मार्क 1 पर ले जाना संभव नहीं है। विमान को अत्याधुनिक वैमानिकी सूट और सेंसर के साथ अपग्रेड किया गया है।

(ख) भारतीय वायु सेना के लिए उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए):
एएमसीए 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान है जो एलसीए के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकियों के आधार पर विकसित किया गया है। एएमसीए का निम्न रडार क्रॉस सेक्शन इसे दुश्मन के रडार द्वारा लगभग अचिन्हित रहने योग्य बनाता है, जिससे यह बिना नजर में आए दुश्मन के इलाके में दूर तक प्रवेश कर सकता है। यह युद्ध के शुरुआती चरणों में दुश्मन के बचाव को ध्वस्त करके हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एएमसीए एक ट्वीन इंजन वाला विमान है जिसका अधिकतम भार 25 टन है। इसमें आंतरिक रूप से (1.5 टन) हथियार ले जाने की क्षमता है और साथ ही साथ यह बाहरी रूप से 5 टन पेलोड को (गैर-स्टील्थ मोड में) ले जाने की क्षमता रखता है। एएमसीए के विकास से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में आ जाएगा, जिनके पास 5वीं पीढ़ी के विमानों को विकसित और संचालित करने की क्षमता होगी।

(ग) भारतीय नैसेना के लिए ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू (टीईडीबीएफ)
भारतीय नौसेना को एक ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू (टीईडीबीएफ) एक ऐसा लड़ाकू विमान प्रदान करने के लिए जो विरोधियों से बने खतरों को बेअसर करने के मिशन को पूरा करेगा, विकसित किया जा रहा है जो भारतीय नौसेना कैरियर से संचालित होगा। इसका सकल भार 26 टन है। बेहतर मिशन और सामरिक प्रदर्शन क्षमताओं के अलावा, टीईडीबीएफ को निरंतर संचालन के लिए भारतीय

नौसेना के कैरियर (आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत) के साथ इंटरफेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टीईडीबीएफ मौजूदा भारतीय नौसेना के साथ संचालित विमानों की तुलना में काफी उन्नत संस्करण और घातक होगा। 2031 तक संचालन के लिए मिग-29K के प्रतिस्थापन के रूप में इन विमान को शामिल किया जाएगा।"

17. समिति ने पाया कि 2013 में एक मिसाइल का परीक्षण किया गया था जिसमे कम दूरी में एमबीटी अर्जुन मार्क II से दागी गई मिसाइल मिसाइल की कुछ समस्याओं के कारण स्वीकृति मानदंडों को पूरा नहीं कर सकी। इसलिए 2018 में एमबीटी अर्जुन मार्क II से मिसाइल फायरिंग को अलग कर दिया है। समिति इस तथ्य से प्रसन्न नहीं है कि मिसाइल के विकास पर पर्याप्त निधि खर्च करने के बावजूद यह एमबीटी अर्जुन एमके दो के लिए असफल हो गया। समिति ने नोट किया है कि लगभग पांच वर्षों के बाद मिसाइल को परित्याग कर दिया गया था जो पहले भी किया जा सकता था। समिति का मानना है कि किसी परियोजना की शुरुआत से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे बुनियादी काम और योजना बनाई जानी चाहिए थी ताकि कीमती धन, समय और जनशक्ति की बर्बादी न हो। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि परियोजना को हमेशा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जो ऐसा लगता है कि इस मामले में नहीं किया गया था। समिति सिफारिश करती है कि आबंटित निधियों की फिजूलखर्ची के ऐसे किसी भी मामले को रोकने के लिए डीआरडीओ द्वारा कुछ मजबूत योजना, निष्पादन और निगरानी तंत्र विकसित करने और सावधानीपूर्वक पालन करने की आवश्यकता है, जिसका अन्यथा रक्षा प्रतिष्ठान के अन्य स्कंधों में बाध्यकारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सकता था।

<u>गुणता आश्वासन महानिदेशालय</u>

ङ. बजट

सिफारिश (पैरा सं. 20)

18. समिति ने निम्निलिखित सिफारिश की:

"समिति नोट करती है कि 1343.10 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में राजस्व और पूंजी शीर्ष दोनों के लिए डीजीक्यूए को 1304.08 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया । इसी तरह, राजस्व शीर्ष के अंतर्गत अनुमान 1323.10 करोड़ रुपए था जबकि आवंटन 1284.08 करोड़ रुपए था । चूंकि राजस्व मद के लिए आवंटन में लगभग रुपए 39.02 करोड़ रुपए की कमी है, समिति इसके कारणों को जानना चाहेगी और यह भी जानना चाहेगी कि संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन बढ़ाए जाने की आशा है या नहीं । समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष, 2021-22 में, संशोधित उपयुक्त चरण आवंटन के समय राजस्व बजट 1031.17 करोड़ रुपए था और व्यय केवल 827.53 करोड़ रुपए था । इसी तरह, पूंजीगत बजट में संशोधित उपयुक्त स्तर के बाद आवंटन 10.67 करोड़ रुपए था जबकि किया गया व्यय 4.02

करोड़ रुपए बहुत कम था । मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक आवंटित बजट के कम उपयोग की एक समान प्रवृत्ति भी देखी जाती है । समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि सार्वजनिक संसाधनों का बहुत विवेकपूर्ण उपयोग किए जाने की आवश्यकता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आवश्यक धनराशि का अनुमान वास्तविक रूप से किया जाना चाहिए अन्यथा राजकोष पर अनावश्यक रूप से बोझ डालने के अलावा, यह इन निधियों को रक्षा के अन्य विभागों द्वारा लाभप्रद उपयोग से भी वंचित करता है । समिति ने डीजीक्यूए की ओर से ठोस व्यय योजना बनाने की सिफारिश की है ताकि निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और पूरे वर्ष व्यय के वितरण में एकरूपता बनाए रखी जा सके।"

19. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नलिखित बताया:

"बीई 2022-23 में डीजीक्यूए के लिए 1343.10 करोड़ रुपए के आकलन के मुकाबले 1304.08 करोड़ रुपए (अर्थात बीई 2021-22 से 9.68 करोड़ रुपए अधिक) आवंटित किए गए हैं जिसमें पूंजीगत और राजस्व मद दोनों शामिल हैं । व्यय की गति के आधार पर डीजीक्यूए को संशोधित विनियोजन (एमए) 2021-22 में राजस्व मद के तहत 1041.96 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें से मार्च (प्री) 2022 के अनुसार 964.31 करोड़ रुपए की धनराशि बुक की गई है । इसी प्रकार, एमए 2021-22 में पूंजीगत मद के तहत डीजीक्यूए को 10.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें से मार्च (प्री) 2022 के अनुसार 5.11 करोड़ रुपए की धनराशि बुक की गई है । इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि बचत के आमेलन के मद्देनजर और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सेवा/संगठन की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए एमए कार्य कार्य किया जाता है ताकि अल्प स्रोतों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। तथापि, कुछ भुगतानों का उनकी विशिष्ट प्रकृति के कारण, सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होगा, जिससे बचत अथवा अतिरिक्त व्यय हो सके ।

2. मंत्रालय द्वारा डीजीक्यूए सहित सेनाओं द्वारा आकलित आवश्यकताओं को वित्त मंत्रालय के समक्ष अनुकूल विचार हेतु प्रस्तुत किया जाता है । वित्त मंत्रालय द्वारा बताई गई समग्र सीमा के आधार पर रक्षा मंत्रालय अंतर-सेवा प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लम्बित प्रतिबद्ध देयताओं आदि पर विचार करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन सेवाओं और संगठनों में धनराशि आवंटित करता है । इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो पुनर्विनियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारी पर समझौता किए बिना तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताएं अर्जित कर ली जाए । यदि आवश्यक हो तो आरई/अनुपूरक चरण में अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी ।

3. वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेनाओं), सचिव (रक्षा वित्त) और रक्षा सचिव द्वारा समय समय पर व्यय की प्रगति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि

बजटीय आवंटन का उपयोग हो सके । धनराशि के अत्यधिक व्यय/न्यून उपयोग से बचने और वित्तीय औचित्य के नियमों के अनुपालन हेतु समय समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं । समिति सुनिश्चित करेगी कि उपलब्ध स्रोतों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ।".

20. अपने मूल प्रतिवेदन में समिति ने राजकोष पर अनावश्यक अधिक बोझ नहीं डालने और रक्षा के दूसरे विभागों द्वारा संसाधनों के लाभप्रद उपयोग के लिए निधियों की आवश्यकता का यथार्थपरक मूल्यांकन और अनुमान लगाने की सिफारिश की । समिति डीजीक्यूए की ओर से कुछ ठोस और निर्णायक उपायों और उचित योजना के लिए अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और पूरे वर्ष खर्चे का एक समान वितरण भी बनाए रखा जाए।

<u>राष्ट्रीय कैडेट कोर</u>

च. एनसीसी और एसएफएस स्कीम का विस्तार

सिफारिश (पैरा सं. 26)

21. समिति ने निम्निलिखित सिफारिश की:

"मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर से समिति नोट करती है कि भारत में 18864 ऐसी संस्थाएं हैं जहां विद्यार्थी एनसीसी का विकल्प चुन सकते हैं। इनमें से 13883 संस्थाएं सरकारी हैं और 4981 निजी संस्थाएं हैं। पिछले दो वर्षों में सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों में 1283 संस्थाओं को जोड़ा गया है। समिति के समक्ष विचार विमर्श के दौरान एनसीसी-के महानिदेशक ने जानकारी दी है कि कुल 17 लाख कैडेट के स्थान पर वर्तमान में एनसीसी में 15 लाख कैडेट हैं और कोविड आदि के कारण विद्यालयों के देर से खुलने के कारण यह फासला उत्पन्न हुआ। समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदनों में एनसीसी की सुविधा शुरू करने के इच्छुक संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या का भी विषय उठाया। इन संस्थाओं के नाम पुनः प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं। प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित संस्थाओं की संख्या बढ़कर 8472 हो गई है। इस बात के मद्देनजर कि एनसीसी की भावना से चरित्र, मैत्रीभाव विकसित होने के साथसाथ युवा ना-गरिकों में अनुशासन निःस्वार्थ सेवा भाव प्रोदभूत होता है, समिति की सिफारिश है कि प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित संस्थाओं के बैकलॉग को यथाशीघ्र क्लियर किया जाए। समिति आशा करती है कि हाल ही में शुरू की गई एसएफएस योजना जहां कैडेट को स्वयं ही प्रशिक्षण संबंधी व्यय वहन करना पड़ता है, इससे निश्चित तौर पर एनसीसी का वित्तीय बोझ घटेगा। समिति एनसीसी निदेशालय द्वारा युवक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत देशों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25

करके तथा प्रशिक्षण में अनुकृतियों का समावेश कर किए गए प्रयासों की सराहना करती है।"

22. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नलिखित बताया:

"दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, एनसीसी की नामांकन स्थिति पूर्ण रूप से स्वयं वित्तपोषण स्कीम (एफएसएफएस) के अंतर्गत संस्वीकृत 2 लाख कैडेटों सहित, 17 लाख की संस्वीकृत नफरी की तुलना में 14,81,602 कैडेटों का नामांकन किया है । एनसीसी द्वारा कवर की गईं संस्थाओं की कुल संख्या 19860 है और 9181 संस्थाएं प्रतीक्षा सूची में हैं । यद्यपि एनसीसी द्वारा कवर की गई संस्थाओं की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, प्रतीक्षा सूची की संख्या में कमी नहीं होगी क्योंकि एनसीसी के आवंटन के लिए नए आवेदन वर्ष दर वर्ष आते रहते हैं ।

एफएसएफएस के अंतर्गत 1,54,829 कैडेटों की रिक्तियां निजी संस्थाओं को संवितरित कर दी गई थीं जो चल रही एनसीसी की लागत को वहन करने के इच्छुक थे। एफएसएफएस के अंतर्गत रिक्तियों की कमी के कारण कोई भी संस्था प्रतीक्षा सूची में नहीं है।"

23. समिति रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है जिसके परिणामस्वरूप एनसीसी द्वारा सम्मिलित किए गए संस्थानों की संख्या 19860 तक बढ़ गई है। तथापि जैसा कि मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में कहा कि प्रतीक्षा सूची में कमी नहीं आने वाली है क्योंकि वर्तमान में 9181 संस्थान प्रतीक्षा सूची में हैं और एनसीसी के आबंटन के लिए नए आवेदन पूरे वर्ष जमा होते रहते हैं।

समिति ने प्रतीक्षा सूची में शामिल संस्थानों की संख्या कम करने के लिए एनसीसी के सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए यह मानने का पूरा कारण दिया है कि एनसीसी के आवंटन के लिए नए आवेदनों के त्वरित मूल्यांकन, संवीक्षा और विचार के लिए एक बेहतर तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि एनसीसी कार्यक्रमों में संस्थानों/स्कूलों को अधिक तीव्र गति से शामिल किया जा सके और इस प्रकार छात्रों के एक बड़े समूह को एन सी सी प्रशिक्षण से लाभान्वित किया जा सके। समिति का विचार है कि इस तरह के कदम अंततः युवाओं को सशस्त्र बलों, सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे।

समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि रिक्तियों के अभाव में एनसीसी द्वारा शुरू की गई पूर्ण स्व-वित्त योजना (एफएसएफएस) के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में कोई संस्था नहीं है। समिति समझती है कि पूर्णत: स्व-वित्त योजना संस्थानों के उपर वित्तीय बोझ डालती है, फिर भी दीर्घावधि में प्राप्त होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को एनसीसी के संदर्भाधीन योजना को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि नए/इच्छुक संस्थान निर्बाध तरीके से लाभ प्राप्त कर सकें।

अध्याय - दो

क. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं)-नए डीपीएसयू

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियां

सिफारिश (पैरा सं. 1)

समिति को पता चला कि आयुध निर्माणी बोर्ड(ओएफबी), जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, 30.09.2021 तक रक्षा उत्पादन विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय था और यह 41 आयुध कारखानों को नियंत्रित और निर्देशित करता है । मंत्रिमंडल ने 16.06.2021 को आयोजित अपनी बैठक में ओएफबी की उत्पादन इकाइयों को 41 इकाइयों के साथ 7 डीपीएसयू में बदलने को मंजूरी दी थी, जिनमें म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल), उन्नत हथियार एवं उपस्कर इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), इंडिया आप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) शामिल हैं । नई कारपोरेट संस्थाओं के मुख्यालयों का चयन ओएफ के स्थान और जमावड़े, राजस्व और उत्पादों की महत्वपूर्णता के आधार पर किया गया है । समिति, प्रदान की गई जानकारी से यह नोट करती है कि इन नए डीपीएसयू को चलाने के लिए, पूर्ववर्ती ओएफबी पर 30 सितंबर, 2021 तक लगाए गए मांग पत्र (इंडेंट) को संबंधित उत्पादों की आपूर्ति के लिए डीम्ड अनुबंधों में बदल दिया गया है। प्रत्येक वर्ष, उस वर्ष के लक्ष्य से संबंधित राशि का 60 प्रतिशत डीपीएसयू को डीम्ड अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अग्रिम के रूप में सेनाओं द्वारा भुगतान किया जाएगा । सरकार ने नए डीपीएसयू के आधुनिकीकरण और अनुसंधान एवं विकास के लिए, मुख्य शीर्ष 4076(4) - रक्षा सेवाएं अनुमानों संबंधी पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत ओमनीबस लघु शीर्ष 190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के तहत आरई 2021-22 में 4,347 करोड़ रुपए (इसमें 30 सितंबर, 2021 तक आयुध निर्माणियों हेतु 204 करोड़ रुपए व्यय शामिल है) और बीई 2022-23 में 3,810 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय पहले ही आवंटित किया है। समिति को पता चला है कि आरई 2021-22 और बीई 2022-23 में नए डीपीएसयू के लिए आपातकालीन प्राधिकार दोनों चरणों में अलग-अलग 2500 करोड़ रुपए बैठता है।

सिफारिश (पैरा सं. 2)

समिति को सूचित किया गया था कि निगमीकरण से पहले रक्षा सेनाओं के लिए ओएफबी उत्पादों की कीमत "लागत के आधार पर" निर्धारित की गई थी और प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष के उत्पादन की वास्तविक लागत, आगामी वर्ष और आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित लागत के आधार पर अगले वर्ष के लिए मूल्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें प्रत्येक वर्ष 8 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि का प्रावधान था । इस प्रकार, इसमें लाभ उपार्जन का कोई तत्व शामिल नहीं था ।

निगमीकरण के बाद, पूर्ववर्ती ओएफबी के लिए सेनाओं द्वारा रखे गए मांग पत्रों को डीम्ड अनुबंधों में परिवर्तित कर दिया गया था । चूंकि, डीम्ड अनुबंधों में कीमतें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूर्ववर्ती ओएफबी पर लागू होने वाले मूल्यों के समान हैं । इस प्रकार, डीम्ड अनुबंधों में लाभ का कोई अतिरिक्त तत्व नहीं है, लेकिन वर्ष 2022-23 के बाद से प्रति वर्ष 6 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का प्रावधान होगा । ओएफबी के निगमीकरण, पेशेवर प्रबंधन, कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता उचित/व्यवस्थित जवाबदेही और पुनर्गठन के साथ, समिति आशा करती है कि पूर्ववर्ती ओएफबी उत्पादनकारी, लाभदायक और कुशल डीपीएसयू में बदल जाएगा।

सरकार का उत्तर

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के नए रक्षा उपक्रमों की कारपोरेट कंपनियों के रूप में कारोबार शुरू करने में उनके मार्गदर्शन एवं सहायता करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पूर्ववर्ती ओएफबी के बकाया इंडेंट की देख-रेख की गई और 70,776 करोड़ रु. मूल्य की डीम्ड संविदाओं में परिवर्तित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्यों की तुलना में, कारोबार करने की तारीख से पहले नए डीपीएसयू को 60 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में 7,765 करोड़ रु. दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 7 नए रक्षा उपक्रमों को पूंजी व्यय एवं इक्विटी के लिए 2,765.95 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है ।

इन नई कारपोरेट कंपनियों को प्रदान की गई कार्यकारी एवं वित्तीय स्वायत्तता के साथ सरकार के मार्गदर्शन में इन आयुध निर्माणियों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाया गया है । पहले 6 महीनों के अंदर, इन नई कंपनियों ने 8,400 करोड़ रु. से अधिक का कारोबार हासिल किया है जो पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती ओएफबी के निर्गम मूल्य (वेल्यू ऑफ इश्यू) की तुलना में पर्याप्त है ।

<u>अनुमानित लाभ, बचत और लागत में कमी</u>

सिफारिश (पैरा सं. 3)

समिति को इस बात से खुशी है कि नवसृजित डीपीएसयू हाल ही में कारपोरेट संस्थाएं बन गए हैं, और उन्होंने लाभप्रदता की प्रवृत्ति दिखानी शुरू कर दी है जिसे भविष्य में भी बनाए रखने की आवश्यकता है । समिति बहुत स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से जानना चाहती है कि क्या ये लाभ बुक एडजेस्टमेंट है या प्रचालन लाभ हैं। विचार-विमर्श के दौरान, समिति को अवगत कराया गया कि 2018-19 के दौरान, एमआईएल को 973 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 1295 करोड़ रुपए और 2020-21 में 1796 करोड़ रुपए हो गया, एमआईएल ने 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 के लिए 42.82 करोड़ रुपए का प्रस्तावित लाभ दिखाया । इसी तरह, 2018-19 के दौरान, एवीएनएल को 152 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 1295 करोड़ रुपए और 2020-21 में 554 करोड़ रुपए हो गया, एवीएनएल ने भी इसी

अवधि के लिए 33.06 करोड़ रुपए के लाभ का प्रस्ताव किया । एक अन्य डीपीएसयू, आईओएल को 2020-21 में 69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, हांलाकि इसने 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए 54.64 करोड़ रुपए का प्रस्तावित लाभ दिखाया । 2018-19 के दौरान, वाईआईएल को 588 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 695 करोड़ रुपए और 2020-21 में 806 करोड़ रुपए हो गया । वाईआईएल ने 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए 76.69 करोड़ रुपए के कम नुकसान के साथ बेहतर प्रदर्शन दिखाया । 2018-19 के दौरान, एडब्ल्यूईआईएल को 494 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो 2019-20 में बढ़कर 846 करोड़ रुपए और 2020-21 में 1051 करोड़ रुपए हो गया । एडब्ल्यूईआईएल ने भी उपरोक्त अवधि के लिए 6.58 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया । इसी तरह, 2018-19 के दौरान जीआईएल को 73 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 97 करोड़ रुपए और 2020-21 में 92 करोड़ रुपए हो गया, अब जीआईएल ने 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए 1.17 करोड़ रुपए का लाभ भी दिखाया । 2018-19 के दौरान, टीसीएल को 221 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो 2019-20 में बढ़कर 379 करोड़ रुपए और 2020-21 में 229 करोड़ रुपए हो गया, टीसीएल ने 1 अक्तूबर 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए 24.70 करोड़ रुपए का लाभ की भी उम्मीद जताई।

सिफारिश (पैरा सं. 4)

मंत्रालय द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि ये नए उपक्रम 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच की अवधि के लिए अपनी लागत को कम किया और बजत दिखाई जो एमआईएल के मामले में न्यूनतम 7.4 प्रतिशत और आईओएल के मामले में 59.42 प्रतिशत तक है। कुल मिलाकर इन उपक्रमों में 92.43 करोड़ रुपए की बचत हुई थी । समिति इस बात को समझती है कि ये डीपीएसयू प्रारंभिक अवस्था में हैं और सरकार और प्रबंधन इन इकाइयों को व्यवहार्य और लाभप्रद बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं । समिति आशा व्यक्त करती है कि भविष्य में लाभ वृद्धिशील हो जाएगा और डीपीएसयू राष्ट्र की प्रगति में पुराने डीपीएसयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे । समिति प्रत्येक नवगठित निगम द्वारा अपनी वृद्धि और लाभ को बनाए रखने के लिए तैयार की गई योजना/रोड मैप/समय-सीमा से अवगत होना चाहेगी ।

सरकार का उत्तर

नई कारपोरेट कंपनियों ने अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने और लागत कम करने के लिए कई उपाए शुरू किए हैं । लागत कम करने पर ध्यान देने के साथ इन कंपनियों ने आरंभिक 6 महीनों में समयोपरि और गैर-उत्पादन संबंधी कार्यकलापों जैसे क्षेत्रों में लगभग 9.48 प्रतिशत अनंतिम संचयी बचत की जानकारी दी है ।

इन सात नए डीपीएसयू में से छह ने अपने कारोबार के पहले 6 महीनों अर्थात 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के दौरान अनंतिम लाभ की जानकारी दी है । यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) को छोड़कर अन्य सभी डीपीएसयू - म्यूनिशन्स इंडिया लि. (एमआईएल), बख्तरबंद

वाहन निगम लि. (अवनी), उन्नत हथियार एवं उपस्कर इंडिया लि. (एडब्ल्यूई इंडिया), ट्रूप कंफर्ट लि. (टीसीएल), इंडिया ऑप्टेल लि. (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लि. (जीआईएल) ने अनंतिम लाभ की जानकारी दी है । इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	**नई रक्षा कंपनी**	**गत तीन वर्षों के दौरान औसत छह माह का लाभ(+)/हानि(-)**	**अनंतिम लाभ(+)/हानि(-)(01 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक)**
1	एमआईएल	-677.33	+28.00
2	एवीएनएल	-164.33	+85.12
3	आईओएल	-5.67	+60.44
4	वाईआईएल	-348.17	-111.49
5	एडब्ल्यूईआईएल	-398.50	+4.84
6	जीआईएल	-43.67	+1.32
7	टीसीएल	-138.17	+26.00

डीपीएसयू के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जी रही है, ताकि ओएफबी के निगमीकरण के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके ।

<u>ऑर्डर बुक की स्थिति</u>

सिफारिश(पैरा सं. 5)

जहां तक अगले पांच वर्षों के लिए आयुध निर्माणियों की ऑर्डर बुक स्थिति का संबंध है, रक्षा मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 के बाद से एमआईएल और वाईआईएल को छोड़कर सभी डीपीएसयू में ऑर्डर बुक अपेक्षाकृत बहुत अच्छी स्थिति में है । वाईआईएल के मामले में, जिसने 2023-24 से कोई आदेश पंजीकृत नहीं किया है, मंत्रालय ने अवगत कराया है कि चूंकि यह पीएसयू मुख्य रूप से अन्य नई रक्षा कंपनियों को इंटरमिटेन्ट उत्पादों/कच्चे माल/घटकों की आपूर्ति करने के लिए है, इसलिए, वाईआईएल के मामले में सेवाओं के साथ अगले 05 वर्षों पर ऑर्डर बुक की स्थिति लागू नहीं है । नई रक्षा कंपनियों के साथ अनुबंधों को आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संपन्न किया जा रहा है । हांलाकि एमआईएल और एडब्ल्यूईआईएल जैसे कुछ डीपीएसयू आने वाले वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए और 10,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन अन्य संतोषप्रद स्थिति में नहीं हैं । जैसा कि रिपोर्ट में पहले कहा गया है, ये डीपीएसयू प्रारंभिक चरण में हैं और रक्षा मंत्रालय और सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं/संगठनों को उत्पादों की आपूर्ति करने के सुरक्षित सरकारी वातावरण में रहने के वर्षों बाद ये नवजात कारपोरेट जगत के लिए बहुत नए हैं । इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि यद्यपि एक विशेष या अंतरकालीन (स्टॉप गैप) व्यवस्था के रूप में, मंत्रालय द्वारा उन्हें आदेशों आदि के संबंध में उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए और समिति का यह मानना है कि आने वाले वर्षों में ये नए डीपीएसयू देश और विदेश दोनों में नए बाजारों का

पता लगाएंगे और नए बाजार स्थापित करेंगे और आत्मनिर्भर बन जाएंगे । समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को विदेश मंत्रालय से सहयोग प्राप्त करना चाहिए ताकि विदेश मंत्रालय अपनी ओर से अपने राजनयिक चैनलों के माध्यम से डीपीएसयू के उत्पादों के लिए विदेशों में नए बाजारों का पता लगा सके ।

सरकार का उत्तर

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के नए रक्षा उपक्रमों की कारपोरेट कंपनियों के रूप में कारोबार शुरू करने में उनके मार्गदर्शन एवं सहायता करने के लिए कई कदम उठाए हैं । इस संबंध में पूर्ववर्ती ओएफबी के बकाया इंडेंट की देख-रेख की गई और उन्हें आगामी पांच वर्षों के लिए 70,776 करोड़ रु. मूल्य की मानित संविदाओं में परिवर्तित किया गया । चालू वर्ष अर्थात 2022-23 के लिए दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार सात नए डीपीएसयू के ऑर्डर बुक की स्थिति 20,290 करोड़ रुपए है ।

ये डीपीएसयू इन-हाउस तथा देश के अंदर और विदेश में प्रमुख मूल उपस्कर विनिर्माताओं(ओईएम) के साथ सहयोगी प्रयासों के माध्यम से नए उत्पादों का विकास करने के लिए भी उपाय कर रहे हैं। अधिक कार्यकारी एवं वित्तीय स्वायत्तता के साथ, ये नए डीपीएसयू रक्षा उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए निर्यात सहित अपने ग्राहक आधार बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं । ये डीपीएसयू विदेश में विभिन्न भारतीय दूतावासों और मिशनों में स्थित रक्षा अताशे के साथ वार्ता के माध्यम से नए देशों में निर्यात के अवसर भी तलाश रहे हैं । ये डीपीएसयू अपने आरंभ के 6 माह के अंदर क्रमशः 3,000 करोड़ रु. और 600 करोड़ रु. से अधिक मूल्य की घरेलू संविदाओं और निर्यात आर्डर प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

<u>श्रमशक्ति</u>

सिफारिश सं. 6

समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने आयुध निर्माणियों के विभिन्न संघों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संज्ञान लिया है, जिसका उल्लेख समिति की पूर्व की रिपोर्टों में किया गया है, और पूर्ववर्ती ओएफबी के सभी कर्मचारियों जो उत्पादन इकाइयों और गैर-उत्पादन इकाइयों से संबंधित थे, की पहचान की है, जिन्हें शुरू में बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के विदेश सेवा की शर्तों पर डीम्ड डेपुटेशन पर दो साल की अवधि के लिए नए डीपीएसयू में सामूहिक रूप से स्थानांतरित किया गया था। वे उन सभी मौजूदा नियमों और आदेशों के अधीन बने रहेंगे, जो केन्द्र सरकार के कर्माचारियों के वेतनमान, भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाओं, कैरियर की प्रगति और अन्य सेवा शर्तों पर लागू होते हैं । समिति ने यह भी नोट किया है कि सेवानिवृत लोगों और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को सरकार द्वारा रक्षा पेंशन के लिए रक्षा मंत्रालय के बजट से वहन किया जाना जारी रहेगा और सभी संबंधित मुद्दों को देखने के लिए आयुध समन्वय सेवा निदेशालय का भी गठन किया गया है । समिति इस बात से संतुष्ट है कि मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार पूर्ववर्ती आयुध कारखानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को इस तरह से नहीं बदला जाएगा कि उनको किसी तरह की कोई हानि हो । समिति ने आगे

कहा कि नई कंपनियों में पिछले दो वर्षों से नई भर्ती पहले ही रोक दी गई है क्योंकि वे निगमीकृत होने की प्रक्रिया में थीं और इन कंपनियों में पहले से ही अधिक कर्मचारी हैं और 75,000 से अधिक कर्मचारी पहले से ही काम कर रहे हैं । समिति आशा व्यक्त करती है कि एक बार जब ये कंपनियां घरेलू बिक्री या निर्यात के माध्यम से लाभ अर्जित करना शुरू कर देंगी, तो प्रबंधन अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने पर विचार करेगा।

सरकार का उत्तर

नवनिर्मित डीपीएसयू के पास सामान्यतः इस बदले हुए परिदृश्य में जनशक्ति की कमी नहीं है । इसके अलावा, डीपीएसयू के कर्मचारियों को नियमित रूप से कुशल बनाया जाता है ताकि सदैव बदलते हुए व्यापारिक परिवेश में चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके ।

<u>स्वदेशीकरण</u>

सिफारिश (पैरा सं. 7)

अनुदान मांगों की जांच के दौरान नवगठित डीपीएसयू के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर, उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का स्वदेशीकरण प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है । म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड में वर्तमान स्वदेशीकरण सामग्री 95 प्रतिशत है । बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) में बीएमपी-II के लिए टी-90 टैंक और यूटीडी-20 इंजन को छोड़कर, जिनमें स्वदेशीकरण सामग्री क्रमशः 80.1 प्रतिशत और 83.04 प्रतिशत है, एडब्ल्यूईआईएल के अन्य सभी उत्पादों में 95 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण प्रतिशत है । यंत्र इंडिया लिमिटेड में शत प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है और एडब्ल्यूईआईएल, आईओएल में भी 90 प्रतिशत से अधिक का स्वेदशीकरण प्रतिशत है । समिति को उम्मीद है कि बहुत सावधानीपूर्वक आयोजना और विवेकपूर्ण उत्पादन और विपणन प्रबंधन प्रणालियों के साथ, सभी डीपीएसयू में 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री होगी, विशेष रूप से 'धनुष' जैसे उत्पादों में । समिति चाहती है कि इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए/नियोजित उपायों पर उसके समक्ष एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाए ।

सरकार का उत्तर

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने रक्षा उपस्करों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों को अपनाया है जो निम्नलिखित हैं:-

- मेक-II
- आईडेक्स
- सृजन रक्षा पोर्टल

- जटिल प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण करके आयात प्रतिस्थापन पर जोर देते हुए इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं
- स्वदेशी मदों के विकास और आपूर्ति के लिए घरेलू रक्षा उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन/गठजोड।

नवनिर्मित डीपीएसयू द्वारा शतप्रतिशत स्वदेशीकरण मात्रा प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय/योजनाएं इस प्रकार हैं:

डीपीएसयू	स्वदेशीकरण की मात्रा
एवीएनएल	टैंक टी-72 और टी-90 के लिए इंजनों का शतप्रतिशत स्वदेशीकरण किया जा चुका है और टैंक टी-72 एवं इंफेंट्री कम्बैट वाहन बीएमपी-II/2के में स्वदेशीकरण की मात्रा क्रमश: 96 प्रतिशत एवं 98.5 प्रतिशत है । इसके अलावा, वर्तमान में आयात किए जा रहे अन्य प्लेटफार्मों के लिए उप-प्रणालियों, संघटकों और उप-असेंबलियों के स्वदेशीकरण के लिए एवीएनएल ने कार्रवाई आरंभ कर दी है ।
एमआईएल	एमआईएल के उत्पादों में स्वदेशीकरण की मात्रा लगभग 95 प्रतिशत है । तथापि, मेक-I व मेक-II, आईडेक्स एवं सृजन रक्षा पोर्टल तथा इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से शत-प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
एडब्ल्यूईआईएल	155 मिमी X 45 कैलीबर आर्टिलरी गन सिस्टम "धनुष" का प्रयोक्ता द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है । नवल गन एके 630 और टैंक टी-90 के लिए संघटक 94 प्रतिशत से भी अधिक स्वदेशीकृत हैं।
वाईआईएल	वाईआईएल के उत्पादों में स्वदेशीकरण की मात्रा शतप्रतिशत है ।
टीसीएल	टीसीएल द्वारा विनिर्मित मदें पहले से ही शतप्रतिशत स्वदेशी हैं । तथापि, टीसीएल ने ऐसे स्टोर्स की मेक-II के अंतर्गत स्वदेशीकरण करने के लिए पहचान की है, जिनका भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा वर्तमान में आयात किया जा रहा है ।
आईओएल	आईओएल ने टी-72 एवं बीएमपी-II प्लेटफार्मों के लिए साइटिंग एवं अग्निशमन प्रणालियों को पूर्ण रूप से स्वदेशीकृत किया है । आईओएल वर्तमान में आयात किए जा रहे अन्य संघटकों एवं उप असेंबलियों के मेक-I, मेक-II, आईडेक्स एवं सृजन पोर्टल के अंतर्गत स्वदेशीकरण किए जाने के प्रयास कर रहा है ।
जीआईएल	जीआईएल के उत्पादों में स्वदेशीकरण की मात्रा शतप्रतिशत है ।

<u>अनुसंधान और विकास व्यय</u>

सिफारिश (पैरा सं. 8)

समिति नोट करती है कि एमआईएल का अनुसंधान एवं विकास व्यय वीओआई (निर्गम का मूल्य) के 0.15 प्रतिशत से 0.77 प्रतिशत तक होता है । जैसा कि मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा सूचना दी गई, इसे अगले वर्ष बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया जाएगा । एवीएएनआई उत्पादों में सुधार के लिए 43 इकाइयों पर अनुसंधान और विकास का कार्य कर रहा है और उसने शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योगों के सहयोग से प्रमुख प्लेटफार्मों को विकसित करने का निर्णय लिया है । आईओएल आरएंडडी पर वीओआई का 0.30 प्रतिशत योगदान देता है, जो काफी कम है। एडब्ल्यूईआईएल का ध्यान मुख्यतः आर्टिलरी गन के विकास पर केंद्रित है, पर इसके द्वारा अनुसंधान और विकास पर कितना व्यय किया जा रहा है यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। टीसीएल आरएंडडी पर वीओआई का 0.22 प्रतिशत व्यय कर रहा है और निकट भविष्य में इसे 2-3 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना है। वाईआईएल ने कंपनी को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है । जीआईएल ने कहा है कि वह आरएंडडी पर 15 लाख रुपए व्यय कर रहा है लेकिन इसे बढ़ाने की योजना है। समिति को खुशी है कि ये नए डीपीएसयू अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि वे स्वयं को प्रतिस्पर्धी वातावरण में स्थापित कर सकें। तथापि, समिति की ओर से यह अनुचित होगा यदि वह सिफारिश नहीं करती है कि प्रतिवर्ष उनके लाभ का एक लक्षित प्रतिशत अनुसंधान एवं विकास व्यय में लगाया जाए। यहां समिति यह भी सिफारिश करना चाहेगी कि निगम अपने उत्पादों की बिक्री के अलावा, भारत और विदेशों में, विशेष रूप से विकासशील देशों में अपनी प्रौद्योगिकियों को बेचने की संभावना पर विचार करें ।

सरकार का उत्तर

सात नए डीपीएसयू के अधीन सभी आयुध निर्माणियां शस्त्र, गोलाबारूद और उपस्करों के अभिकल्प, विकास एवं उत्पाद उन्नयन के लिए आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाएं संचालित करती हैं । डीपीएसयू के आयुध विकास केंद्र (ओडीसी) अनुसंधान एवं विकास के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। सभी नवनिर्मित डीपीएसयू मेक-II और आई-डेक्स के तहत नई प्रौद्योगिकियों के लिए सहयोगात्मक विकास परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहें हैं। नई कंपनियां प्रत्येक वर्ष आरएंडडी व्यय के लिए अपने लाभ का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

<u>निर्यात</u>

सिफारिश (पैरा सं. 9)

अनुदानों की मांगों 2022-23 पर विचार-विमर्श के दौरान, रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि एमआईएल, वाईआईएल और एडब्ल्यूईआईएल को छोड़कर किसी भी अन्य नवनिर्मित डीपीएसयू को कोई निर्यात अनुबंध नहीं दिया गया है। एमआईएल ने पहले ही 87 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर प्राप्त कर लिए हैं और इसका लक्ष्य अगले वर्ष तक निर्यात को वार्षिक निर्गम मूल्य के विद्यमान 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना है । एवीएएनआई ने नौसेना के लिए बंदूकें (नेवल गन), वायु रक्षा बंदूकें (एयर डिफेंस गन) और छोटे हथियारों (स्माल आर्म्स) सहित निर्यात में कई पहल की हैं । आईओएल ने निर्यात के लिए अल्जीरिया, श्रीलंका, मध्य पूर्व देशों, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, भूटान और नेपाल जैसे देशों पर ध्यान केंद्रित किया है, हालांकि, इसने अभी तक कुछ भी निर्यात नहीं किया है। एडब्ल्यूईआईएल ने निर्यात से आय करने के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन समूह की भी शुरू की है । वाईआईएल को हाई कैलिबर आर्टिलरी गोले और 155 एमएम ईआरएफबी एचई (बीटी/बीबी) गोले (200 करोड़ रुपए मूल्य के 40,000 गोले) और 7.62 एमएम गोलाबारूद का निर्यात करना है और इसे एमआईएल द्वारा 250 मिलियन 5.56 एमएम गोलाबारूद के अपेक्षित निर्यात आदेशों के लिए पीतल और जीएम कप की आपूर्ति का ऑर्डर मिलने की अपेक्षा है । जीआईएल ने दक्षिण पूर्व के विभिन्न देशों और यूएस/यूरोप को एसयू-30,जगुआर और एमआईजी-21 के लिए ब्रेक पैराशूट जैसे विभिन्न पैराशूटों का निर्यात किया है। समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक निगम द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। समिति आशा करती है कि जीआईएल को स्पोर्ट्स क्लब आदि द्वारा पैराशूटों की मरम्मत का जो कार्य सौंपा गया है, इस अवसर का उसे पूरा लाभ उठाना चाहिए और भारत और विदेशों के स्पोर्ट्स क्लब को टिकाऊ और किफायती पैराशूट की आपूर्ति करने के बारे में भी सोचना चाहिए।

सरकार का उत्तर

सभी सात नए डीपीएसयू ने निर्यात के साथ-साथ नए बाजारों की खोज और अपने व्यवसाय का विस्तार करना आरंभ कर दिया है । इन डीपीएसयू ने अपनी शुरूआती छः माह में ही क्रमशः 3000 करोड़ रुपए और 6000 करोड़ रुपए से अधिक की घरेलू संविदाएं और निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में सफलता पाई है। ये डीपीएसयू देश में तथा देश और विदेश के प्रतिष्ठित मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के सामूहिक प्रयासों से नए उत्पाद विकसित करने के उपाय कर रही है।

जीआईएल भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और स्पोर्ट्स क्लबों के साथ साझेदारी में भारत और विदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स और मनोरंजक गतिविधियों में उपयोगी उत्पादों का विनिर्माण करने का प्रयास कर रहा है ।

<u>नए डीपीएसयू के समक्ष चुनौतियां</u>

सिफारिश (पैरा सं. 10)

अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान, नए डीपीएसयू के सीएमडी ने पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के बाद उनके समक्ष आने वाली निम्नलिखित चुनौतियों/समस्याओं को प्रस्तुत किया हैः

1. **सरकारी से वाणिज्यिक इकाई में परिवर्तन के कारण कार्यभार विषम हो गया - उच्च विस्फोटकों, छोटे हथियारों के गोलाबारूद निर्माण करने वाले कारखाने पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं।**
2. **डीम्ड संविदाएं, जो कार्यभार का लगभग 85 प्रतिशत है, में लाभ का कोई प्रावधान नहीं है ।**
3. **उपलब्ध और आवश्यक कौशल के बीच अंतर ।**
4. **नई व्यवस्था को अपनाने के लिए कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ।**
5. **प्रचालन को लाभदायक बनाना ।**
6. **सीमित/प्रतिबंधित विक्रेता समूह ।**
7. **आयात/उत्पाद समर्थित सामग्री की समय पर प्राप्ति ।**
8. **वर्तमान में टीओटी आधारित विनिर्माता से स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों/प्रणालियों के निर्माता के रूप में उभरना ।**
9. **ग्राहक आधार बढ़ाकर नए डीपीएसयू पर निर्भरता कम करना ।**
10. **लेखांकन, लेखापरीक्षा, लागत और अनुपालन के क्षेत्र में सलाहकारों की नियुक्ति ।**
11. **उपेष्टतम कार्यभार के कारण उच्च उत्पादन लागत।**

समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को प्रत्येक नवगठित डीपीएसयू की सहायता के लिए उचित सावधानी के साथ साथ पूरजोर प्रयास करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं और मांगों को उचित रूप से पूरा करना चाहिए ताकि वे व्यवहार्य हो सकें। यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय कमियों की आवधिक समीक्षा करने और इसके समाधान के अर्थोपाय सुझाने के लिए एक कृतिक बल का गठन कर सकता है ।

सरकार का उत्तर

सरकार ने इन नए डीपीएसयू की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मार्गदर्शन के लिए विभिन्न कदम उठायें हैं। इस संबंध में भूतपूर्व ओएफबी की लंबित मांगों को संज्ञान में लेकर 70,776 करोड़ रुपए मूल्य की मानित संविदाओं में परिवर्तित कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्यों के नामे व्यापार तिथि के आरंभ होने से पूर्व नए डीपीएसयू को 60 प्रतिशत मोबिलाइजेशन एडवांस के

रूप में 7,765 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय और इक्विटी के लिए सात नए डीपीएसयू को 2765.95 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है ।

इन नई कारपोरेट संस्थाओं को प्रदान की गई प्रचालनात्मक और वित्तीय स्वायत्तता और सरकार द्वारा दी गई सहायता से आयुध निर्माणियों की कार्यप्रणाली में काफी सुधार आया है । पहले छः माह के भीतर इन नए डीपीएसयू ने 8,400 करोड़ रुपए का कारोबार किया है जो विगत वित्तीय वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती ओएफबी के निर्गम मूल्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए इन नई संस्थाओं ने संसाधनों के इष्टतम उपयोग, लागत में कमी, उत्पादों एवं ग्राहक आधार के विविधीकरण तथा घरेलू उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ सहयोग के लिए उपाय करना शुरू किया है। शुरुआत के छह महीने में ही इन डीपीएसयू ने लागत कटौती पर ध्यान केंद्रित कर ओवर टाइम और गैर-उत्पादन गतिविधियों जैसे क्षेत्रों से लगभग 9.48 प्रतिशत की संचयी बचत की है और 3000 करोड़ रुपए की घरेलू संविदाएं और 600 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से इन नए डीपीएसयू के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जा रही है ताकि यदि कोई हो, तो उचित समय पर हस्तक्षेप किया जा सके और ओएफबी के निगमीकरण के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके।

<u>बजट</u>

सिफारिश (पैरा सं.11)

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से, समिति ने पाया कि पिछले कुछ वर्षों में डीआरडीओ का बजट रक्षा बजट का लगभग 5-6 प्रतिशत रहा है। हालांकि, यह बढ़ नहीं रहा है और मुद्रास्फीति की लागत के अनुरूप है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक बड़ी राशि रणनीतिक योजनाओं और सीसीएस परियोजनाओं/ कार्यक्रमों, वेतन और भत्ते और अन्य गैर-वेतन राजस्व व्यय पर खर्च की जाती है, जिनमें से प्रत्येक अनिवार्य रूप से हर साल बढ़ता रहता है। वर्ष 2021-22 में, डीआरडीओ ने 23460.44 करोड़ रु. की राशि का अनुमान लगाया था। जबकि अंतिम आबंटन 18,227.44 करोड़ रु. का था जो कि आरंभ में लगाए गए 5122.56 करोड़ रु. के अनुमान से कम है। यह आबंटन वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से भी कम है। बीई में 2022-23 के लिए बजट अनुमान बीई में , डीआरडीओ ने 22,990 करोड़ रु. की मांग की थी जबकि दिया गया आबंटन 21,330.20 करोड़ रु. है। ऐसे में आबंटन में 1659.80 करोड़ रु. की कमी हो गई है। समिति आशा व्यक्त करती है कि डीआरडीओ को किए जाने वाले बजट आबंटन में कटौती से संगठन की परिचालन आवश्यकताओं और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि जहां आवश्यक हो, डीआरडीओ को संशोधित अनुमानों/पूरक

चरण में अतिरिक्त धन की मांग करनी चाहिए ताकि उनकी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां निर्धारित समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ सकें।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष 2018-19 से बजट अनुमान (बीई) प्रभावी चरण में रक्षा आबंटन और डी डीआरएंडडी आबंटन की तुलना:

वर्ष	रक्षा व्यय	डी डीआर एंड डी अनुमान	बजट अनुमान के स्तर पर अनुसंधान एवं विकास के लिए आबंटित बजट	रक्षा व्यय का प्रतिशत
2018-19 (बीई)	295511.41	22203.74	17861.19	6.04
2019-20 (बीई)	318931.22	22953.95	19021.02	5.96
2020-21 (बीई)	337553.00	23457.40	19327.35	5.73
2021-22 (बीई)	347088.28	23460.00	20457.44	5.89
2022-23 (बीई) $	385370.15	23460.00	21330.20 (स्वीकृत)	5.53

नोट: $ के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 इंगित किया गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आबंटन हमेशा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अनुमानों से कम होता है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आरई चरण में अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी।

<u>श्रमशक्ति</u>

सिफारिश (पैरा सं.13)

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर समिति नोट करती है कि डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की अधिकृत संख्या 7773 है जबकि मौजूदा संख्या 6965 है। 808 वैज्ञानिकों की कमी है जो स्वीकृत संख्या के 10% से थोड़ा अधिक है। डीआरडीओ के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि संगठन वैज्ञानिकों की भर्ती की प्रक्रिया में है। समिति ने सुझाव दिया कि वैज्ञानिकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि युवा प्रतिभाओं को रक्षा अनुसंधान में अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर मिल सके। डीआरडीओ जैसे संगठन में सीधे तौर पर योगदान देने वाली कुशल जनशक्ति केवल वैज्ञानिकों की होती है और ऐसे में समिति यह बताना चाहेगी कि वैज्ञानिकों की कमी को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि डीआरडीओ का एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास तंत्र और समर्पित कार्यबल अंततः हमारे सशस्त्र बलों को सशक्त बनाएगा और देश के लिए प्रतिवारण क्षमता विकसित करेगा। समिति यह भी नोट करती है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 147 वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत आधार पर डीआरडीओ से अपना इस्तीफा दे दिया। समिति का विचार है कि डीआरडीओ

में सेवा को आकर्षक बनाने और प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए मंत्रालय को डीआरडीओ में कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) शुरू करने जैसे उपाय करने चाहिए। समिति का मत है कि इस योजना से न केवल संगठन के प्रतिभाशाली कर्मियों को लाभ मिलेगा बल्कि उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप देश में अनुसंधान एवं विकास का समग्र विकास होगा।

सरकार का उत्तर

क्र. सं.	**रिपोर्ट के अनुसार सूचना**	**आज की स्थिति के अनुसार सूचना**
1.	डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की अधिकृत संख्या 7773 है जबकि मौजूदा संख्या 6965 है।	डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की अधिकृत संख्या 7773 है जबकि मौजूदा संख्या 6913 है।
2.	समिति ने यह भी नोट किया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 147 वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत आधार पर डीआरडीओ छोड़ दिया।	आज की स्थिति के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान अब तक 163 वैज्ञानिक व्यक्तिगत आधार पर डीआरडीओ छोड़ चुके हैं।
3.	समिति का विचार है कि डीआरडीओ में सेवा को आकर्षक बनाने और प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए मंत्रालय को डीआरडीओ में कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) शुरू करने जैसे उपाय करने चाहिए।	डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रतिभा को बनाए रखने और आकर्षित करने के उपाय के रूप में, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए अनुमोदित तर्ज पर डीआरडीओ में कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) प्रदान करने के लिए सरकार के साथ एक मामला उठाया गया है। उपरोक्त के अलावा, डीआरडीओ से प्रतिभा पलायन को कम करने के लिए नीचे सूचीबद्ध विभिन्न उपाय पहले से ही मौजूद हैं:- **<u>वित्तीय प्रोत्साहन</u>** • **<u>परिवर्तनीय वेतनवृद्धियां</u>**. लचीली पूरक योजना के तहत पदोन्नति के समय योग्य वैज्ञानिक को अधिकतम 6 परिवर्तनीय वेतन वृद्धियां प्रदान की जाती है। • **<u>व्यावसायिक अद्यतन भत्ता</u>**. व्यावसायिक अद्यतन भत्ता के रूप में वैज्ञानिक 'ख', 'ग' और 'घ' को 22,500/- रु. और वैज्ञानिक 'ड.' और 'च' 45,000/- रु. प्रति

		वर्ष और वैज्ञानिक 'छ' और इससे ऊपर के वैज्ञानिकों को 67,500/- रु. प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। • **<u>अतिरिक्त वेतनवृद्धियां</u>**. 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में वैज्ञानिकों 'ग' को दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी गई। हालांकि अब दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां बंद कर दी गई । जैसा कि दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के भुगतान को फिर से शुरू करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया है। **करियर विकास से संबंधित प्रोत्साहन** • डीआरडीओ में वैज्ञानिकों के बेहतर मार्ग प्रशस्त करने के लिए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (डीआरडीएस) नियमों में एक योग्यता आधारित लचीली पूरक योजना (एफसीएस) प्रदान की जाती है, जिसके तहत पदोन्नति पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर होती है जिसका रिक्तियों की उपलब्धता अथवा वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं होता। लचीली पूरक योजना (एफसीएस) के तहत, समूह 'क' के सबसे निचली श्रेणी पर वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर भर्ती किए गए वैज्ञानिक व्यक्तिगत अद्यतन आधार पर स्तर 15 (एचएजी स्केल) में वैज्ञानिक 'ज' के स्तर तक और उसके बाद स्तर 16 (एचएजी + स्केल) पर विशिष्ट वैज्ञानिक के स्तर तक जा सकते हैं।

<u>गैर सरकारी उद्योग भागीदारी</u>

सिफारिश (पैरा सं.14)

रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के दौरान, समिति को यह बताया गया कि डीआरडीओ गैर सरकारी क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकियों को साझा कर रहा है और गैर सरकारी क्षेत्र की

कंपनियों को परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। पिछले वर्ष ही 300 से अधिक उद्योगों ने डीआरडीओ परीक्षण सुविधाओं का उपयोग किया। ये अवसर उन उद्योगों को दिए जा रहे हैं जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए उत्पाद बना रहे हैं। समिति राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सराहना करती है। हालांकि, समिति यह भी चेतावनी देना चाहती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है कि डीआरडीओ की प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को केवल राष्ट्रीय रक्षा के लिए संरक्षित, उपयोग और सुनिश्चित किया जाना चाहिए और विरोधियों के हाथों में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रक्रिया में डीआरडीओ को अपने शोध परिणामों और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

डीआरडीओ ने स्वयं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को उद्योगों को हस्तांतरित करने के लिए नीति और प्रक्रिया निर्धारित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रौद्योगिकियों को योग्य उद्योगों को हस्तांतरित किया जाए, डीआरडीओ की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम ऐसे उद्योगों का आकलन/शॉर्टलिस्ट करती है जो प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक अपना सके और टीओटी के आधार पर प्रणाली/उत्पाद को प्राप्त करने में सक्षम हों। यदि आवश्यक हो तो टीएसी कंपनी की क्षमता/योग्यता के सत्यापन के लिए उद्योग परिसर का दौरा कर सकती है।

विदेशी शेयरधारिता वाले उद्योग के मामलों में, टीओटी उन उद्योगों पर लागू किया जाता है जिनमें संचयी विदेशी शेयरधारिता 50% से कम होती है।

इसके अलावा, डीआरडीओ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग समझौते (एलएटीओटी) पर हस्ताक्षर करके उद्योग को प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करता है। एलएटीओटी यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग डीआरडीओ से प्राप्त जानकारी/तकनीक को किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित नहीं करे या उपलाइसेंस नहीं दे।

एलएटीओटी उद्योग को इस तरह से भी <u>संबद्ध करता/बांधता</u> है कि उत्पाद के निष्पादन/निर्माण के उद्देश्य से, उनके जिन निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी देनी आवश्यक है, उन्हें छोड़कर, प्रौद्योगिकी की जानकारी अन्य किसी को नहीं दी जाएगी।

डीआरडीओ की अनुसंधान परिणामों को भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर (आवश्यकता आधार पर) पेटेंट के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। इसके अलावा उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के साथ-साथ पेटेंट का अधिकार डीआरडीओ के साथ सुरक्षित रहता है।

<u>उत्कृष्टता केंद्र और विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग</u>

सिफारिश (पैरा सं. 15)

समिति को सूचित किया गया कि डीआरडीओ विभिन्न पद्धतियों और योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से कार्य कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्कृष्टता के दस केंद्रों की स्थापना शामिल है। 12वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को 400 करोड़ रु. और 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 633 शोध परियोजनाओं के लिए 1048 करोड़ रु. प्रदान किए गए। ये समिति विभिन्न संस्थानों और केंद्रों की भागीदारी के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियों को जानने के लिए उत्सुक थी। इस संबंध में, यह पाया गया कि विभिन्न केंद्रों पर कई प्रौद्योगिकियां विकासाधीन चरण में हैं जैसे कि हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ सामग्रियां, बैलिस्टिक और विस्फोट सुरक्षा सामग्रीयां जो लंबी दूरी की हाइपरसोनिक वाहनों के लिए प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाएगी आदि। समिति इन शैक्षणिक संस्थानों में होने वाली प्रगति की सराहना करती है और इच्छा व्यक्त करती है कि डीआरडीओ विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए देश भर में प्रतिभाओं को आकर्षित करती रहेगी।

सरकार का उत्तर

रक्षा संबंधी स्थाई समिति (एससीओडी) के निदेशानुसार, देश भर में प्रतिभाओं को जोड़ने और आकर्षित करने के प्रयास जारी रहेंगे। इसी के अनुरूप और भी ऐसे केंद्र खोले जाएंगे।

सिफारिश (पैरा सं. 16)

समिति ने यह भी पाया कि विभिन्न प्रकार की अनुसंधान योजनाओं आदि के लिए सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधि के उपयोग में अत्यधिक कमी आई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आबंटित 312.50 करोड़ रु. में से 31 दिसंबर 2021 तक केवल 118.21 करोड़ रु. मात्र का उपयोग किया गया है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि इन अनुसंधान योजनाओं के लिए आबंटित धन के इष्टतम उपयोग के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और समिति को सूचित करते हुए त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर खर्च करने के पैटर्न की नियमित निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

जैसा कि स्थायी समिति ने बताया था कि 31 दिसंबर 2021 तक 312.50 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी और 118.21/- करोड़ रु. खर्च किए गए थे, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा धन के उपयोग में कमी मुख्य रूप से कोविड महामारी के कारण हुई है। स्वीकृत परियोजनाओं और व्यय के लिए नियमित त्रैमासिक/अर्धवार्षिक प्रगति निगरानी तंत्र पहले से ही मौजूद है। महामारी

की स्थिति में सुधार और शैक्षणिक संस्थानों के सामान्य संचालन को फिर से प्रारंभ होने के साथ ही, धन का उपयोग सुनिश्चित करना हमारा प्रयास होगा।

<u>ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात</u>

सिफारिश (पैरा सं. 17)

समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुँच बना रहे हैं। मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तटीय प्रक्षेपित ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए फिलीपींस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समिति की इच्छा है कि डीआरडीओ की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि संगठन रक्षा के क्षेत्र में विशाल वैश्विक बाजार का दोहन करने में सक्षम हो, जिससे न केवल संगठन को लाभ होगा बल्कि देश के वित्तीय राजकोष को भी लाभ होगा। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों जैसे वाणिज्य मंत्रालय और विशेष रूप से विदेश मंत्रालय के साथ सघन समन्वय में काम करना चाहिए, जो राजनयिक प्रयासों के माध्यम से अधिक निर्यात आदेश प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ तैनात सैनिक अताशै की भूमिका पर फिर से विचार करने तथा पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है, ताकि अंततः उन्हें इस संबंध में अधिक प्रतिक्रियाशील और सक्रिय बनाना है। समिति इस मुद्दे पर की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

राष्ट्र की निर्यात क्षमताओं में वृद्धि के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

(क) निर्यात सम्बन्धी अनुवर्ती कार्यवाही तथा समन्वय जिसमें विभिन्न देशों से मांगी गई जानकारी भी शामिल है, के लिए रक्षा उत्पादन विभाग में एक अलग सैल का गठन किया गया है जो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ संभावनाएं साझा करती है और निर्यात को बढ़ावा देती है।

(ख) रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में विदेश स्थित भारतीय दूतावासों तथा उद्योग संघों के माध्यम से और भारतीय रक्षा उद्योगों की सक्रिय भागीदारी से, मित्रवत देशों(एफ एफ सी) के साथ नियमित वेबिनार आयोजित किए जा रहे ।

(ग) डीआरडीओ निर्यात के लिए उत्पादों की सूची भी निर्धारित कर चुका है । यह सूचना "निर्यात सार संग्रह" के रूप में डीआरडीओ के वैबसाइट पर उपलब्ध है । भारतीय उद्योग

दी गयी सूचना का मित्रवत देशों से निर्यात के लिए संवाद आरंभ करने के लिए उपयोग करते हैं।

(घ) डीआरडीओ ने भारतीय उद्योगों को निर्यात के लिए सक्षम बनाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर उद्योगों का सहयोग किया है ।

सिफारिश (पैरा सं. 18)

समिति को यह जानकर प्रसन्न है कि डीआरडीओ द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) प्रणाली के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। समिति सिफारिश करती है कि डीआरडीओ की सामरिक परियोजनाओं में मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार ने डीआरडीओ को दुश्मन देशों से आने वाली मिसाइलों से वायु रक्षा सामर्थ्य को विकसित करने के लिए 'बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी)' कार्यक्रम को दो चरणों (एसआरबीएम और एमआरबीएम के लिए चरण-1, आईआरबीएम के लिए चरण -2) में करने की मंजूरी दी है। डीआरडीओ ने एक्सो (पीडीवी) और एंडो (एएडी) वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग करके दुश्मनों की ओर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोकने की क्षमता का विकास और प्रदर्शन किया है।

<u>तेजस एलसीए और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) का स्वदेशीकरण</u>

सिफारिश (पैरा सं. 19)

वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के साक्ष्य के दौरान, समिति को सूचित किया गया था कि तेजस एलसीए और अर्जुन एमबीटी में क्रमशः भारतीय वायुसेना और सेना द्वारा कुछ सुधारों का सुझाव दिया गया था और उन सुधारों को सफलतापूर्वक शामिल कर लिया गया है और उपयोगकर्ताओं द्वारा इनका मूल्यांकन भी कर लिया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी का अध्ययन करने के बाद, समिति ने पाया कि अर्जुन एमबीटी के संबंध में मिसाइल के प्रावधान का मुद्दा अभी भी लंबित है। समिति समझती है कि उचित मिसाइल गोला बारूद के बिना, टैंक की फायरिंग क्षमता सेना को प्रभावी ढंग से सेवा देने में सक्षम नहीं होगी। समिति चाहती है कि डीआरडीओ अर्जुन एमबीटी के लिए मिसाइल के त्वरित प्रावधान के लिए समाधान करे। समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि एचएएल को डीआरडीओ द्वारा विकसित 83 एलसीए तेजस के उत्पादन का आदेश मिला है। समिति ने सिफारिश की है कि और

अधिक प्रयास किए जाएं ताकि निकट भविष्य में एलसीए तेजस के उन्नत और घातक संस्करणों को पेश किया जा सके। साथ ही समिति यह भी सिफारिश करेगी कि एचएएल को इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को तैयार रखना चाहिए ताकि जैसे ही स्थिति बने वह मित्र देशों को निर्यात के लिए विमानों के विनिर्माण की स्थिति में हो।

सरकार का उत्तर

यह सूचित किया जाता है कि प्रयोक्ता द्वारा अपेक्षित मिसाइल फायरिंग क्षमता की आवश्यकता एमबीटी अर्जुन मार्क-II में थी। 2013 के दौरान आयोजित उपयोगकर्ता परीक्षण में एमबीटी अर्जुन मार्क-II मुख्य गन से मिसाइल फायरिंग क्षमता साबित हो चुकी है। हालांकि, कम दूरी में एमबीटी अर्जुन मार्क-II से दागी गई मिसाइल, मिसाइल की कुछ समस्याओं के कारण स्वीकृति मानदंडों को पूरा नहीं कर सकी। इसके अलावा 2018 में उपयोगकर्ता ने एमबीटी अर्जुन मार्क-II से मिसाइल फायरिंग को अलग कर दिया है और टैंक का नाम बदलकर एमबीटी अर्जुन मार्क 1ए कर दिया गया है और उपयोगकर्ता ने 118 एमबीटी अर्जुन मार्क 1ए की खरीद की आवश्यकता को अग्रेषित किया है और उसके बाद 118 एमबीटी अर्जुन मार्क 1ए की आपूर्ति के लिए 10 जनवरी 2022 को एवीएनएल/एचवीएफ पर 10378.326 करोड़ रुपये (4 साल ईएसपी और प्रशिक्षण सहायता और समुच्चय सहित 118 टैंक) की लागत पर डीम्ड संविदा प्रस्तुत किया गया है।

एआरडीई/डीआरडीओ एमबीटी अर्जुन के लिए मिसाइल विकसित कर रहा है जो डीआरडीओ के परीक्षण चरणों में है। तदनुसार इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में सुधार और एकीकृत करना होगा।

(क) <u>भारतीय वायु सेना के लिए एलसीए एएफ मार्क-2</u>

एलसीए एएफ मार्क-2 जो कि एलसीए मार्क-1 से बेहतर है, और अधिक शक्तिशाली घातक और अधिक क्षमता वाला विमान है। एलसीए मार्क-1 की तुलना में एलसीए मार्क-2 संस्करण की रेंज और सहनशक्ति काफी अधिक है। यह एलसीए मार्क-1 के 3.5 टन के मुकाबले 6.5 टन तक पेलोड ले जा सकता है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली भारी और सटीक गाइडेड स्टैंडऑफ हथियारों को ले जाने में सक्षम है जो इन हथियारों के अधिक वजन और आकार के कारण एलसीए मार्क-1 पर ले जाना संभव नहीं है। विमान को अत्याधुनिक वैमानिकी सूट और सेंसर के साथ अपग्रेड किया गया है।

(ख) <u>भारतीय वायु सेना के लिए उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए):</u>

एएमसीए 5वीं जेनरेशन का स्टील्थ विमान है जो एलसीए के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकियों के आधार पर विकसित किया गया है। एएमसीए का निम्न रडार क्रॉस सेक्शन इसे

दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाता है, जिससे यह बिना नजर में आए दुश्मन के इलाके में दूर तक प्रवेश कर सकता है। यह युद्ध के शुरुआती चरणों में दुश्मन की रक्षा को ध्वस्त करके हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एएमसीए एक ट्वीन इंजन वाला विमान है जिसका अधिकतम भार 25 टन है। इसमें आंतरिक रूप से (1.5 टन) हथियार ले जाने की क्षमता है और साथ ही साथ यह बाहरी रूप से 5 टन पेलोड को (गैर-स्टील्थ मोड में) ले जाने की क्षमता रखता है। एएमसीए के विकास से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में आ जाएगा, जिनके पास 5वीं जेनरेशन के विमानों को विकसित और संचालित करने की क्षमता होगी।

(ग) <u>भारतीय नैसेना के लिए ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू (टीईडीबीएफ) विमान</u>

भारतीय नौसेना को एक ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू (टीईडीबीएफ) विमान प्रदान करने के लिए जो दुश्मनो से उत्पन्न खतरों को बेअसर करने के मिशन को पूरा करेगा, विकसित किया जा रहा है जो भारतीय नौसेना कैरियर से संचालित होगा। इसका सकल भार 26 टन है। श्रेष्ठ मिशन और सामरिक कार्य निष्पादन क्षमताओं के अलावा, टीईडीबीएफ को निरंतर संचालन के लिए भारतीय नौसेना के कैरियर (आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत) के साथ इंटरफेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टीईडीबीएफ मौजूदा भारतीय नौसेना के साथ संचालित विमानों की तुलना में काफी उन्नत संस्करण और घातक होगा। इस विमान को 2031 तक संचालन के लिए मिग-29के के प्रतिस्थापन के रूप में शामिल किया जाएगा।

<u>गुणता आश्वासन महानिदेशालय</u>

<u>बजट</u>

सिफारिश (पैरा सं. 20)

समिति नोट करती है कि 1343.10 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में राजस्व और पूंजी शीर्ष दोनों के लिए गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) को 1304.08 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया । इसी तरह, राजस्व शीर्ष के अंतर्गत अनुमान 1323.10 करोड़ रुपए था जबकि आवंटन 1284.08 करोड़ रुपए था। चूंकि राजस्व मद के लिए आवंटन में लगभग 39.02 करोड़ रुपए की कमी है, समिति इसके कारणों को जानना चाहेगी और यह भी जानना चाहेगी कि संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन बढ़ाए जाने की आशा है या नहीं। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष, 2021-22 में, संशोधित विनियोग चरण आवंटन के समय राजस्व बजट 1031.17 करोड़ रुपए था और व्यय केवल 827.53 करोड़ रुपए था । इसी तरह, पूंजीगत बजट में संशोधित विनियोग स्तर के बाद आवंटन 10.67 करोड़ रुपए था जबकि किया गया व्यय बहुत कम अर्थात 4.02 करोड़ रुपए था । मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक आवंटित बजट के कम उपयोग की एक समान प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है । समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि सार्वजनिक संसाधनों का बहुत विवेकपूर्ण उपयोग किए जाने की आवश्यकता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आवश्यक धनराशि का अनुमान वास्तविक रूप से किया जाना चाहिए अन्यथा राजकोष पर अनावश्यक रूप से बोझ

डालने के अलावा, यह रक्षा के अन्य विभागों को इन निधियों का लाभप्रद उपयोग करने से भी वंचित करता है । समिति ने डीजीक्यूए की ओर से ठोस व्यय योजना बनाने की सिफारिश की है ताकि निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और पूरे वर्ष व्यय के संवितरण में एकरूपता बनाए रखी जा सके ।

सरकार का उत्तर

बीई 2022-23 में डीजीक्यूए के लिए 1343.10 करोड़ रुपए के अनुमान की तुलना में 1304.08 करोड़ रुपए (अर्थात बीई 2021-22 से 9.68 करोड़ रुपए अधिक) आवंटित किए गए हैं जिसमें पूंजीगत और राजस्व शीर्ष दोनों शामिल हैं । व्यय की गति के आधार पर डीजीक्यूए को संशोधित विनियोजन (एमए) 2021-22 में राजस्व शीर्ष के तहत 1041.96 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें से मार्च (प्री) 2022 के अनुसार 964.31 करोड़ रुपए की धनराशि बुक की गई है । इसी प्रकार, एमए 2021-22 में पूंजीगत शीर्ष के तहत डीजीक्यूए को 10.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें से मार्च (प्री) 2022 के अनुसार 5.11 करोड़ रुपए की धनराशि बुक की गई है । इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि बचत के आमेलन के मद्देनजर और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सेवा/संगठन की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए एमए कार्य किया जाता है ताकि अल्प स्रोतों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। तथापि, कुछ भुगतानों का उनकी विशिष्ट प्रकृति के कारण, सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होगा, जिससे बचत अथवा अतिरिक्त व्यय हो सकता है।

2. मंत्रालय द्वारा डीजीक्यूए सहित सेनाओं द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं को वित्त मंत्रालय के समक्ष अनुकूल विचार हेतु प्रस्तुत किया जाता है । वित्त मंत्रालय द्वारा बताई गई समग्र सीमा के आधार पर रक्षा मंत्रालय अंतर-सेवा प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लम्बित प्रतिबद्ध देयताओं आदि पर विचार करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन सेवाओं और संगठनों में धनराशि आवंटित करता है । इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो पुनर्विनियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि रक्षा सेनाओं की प्रचालनात्मक तैयारी पर समझौता किए बिना तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताएं अर्जित कर ली जाए । यदि आवश्यक हो तो आरई/अनुपूरक चरण में अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी ।

3. वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेनाओं), सचिव (रक्षा वित्त) और रक्षा सचिव द्वारा समय समय पर व्यय की प्रगति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि बजटीय आवंटन का उपयोग हो सके । धनराशि के अत्यधिक व्यय/न्यून उपयोग से बचने और वित्तीय औचित्य मानदंडों के अनुपालन हेतु समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं । समिति को आश्वासित किया जाए कि उपलब्ध स्रोतों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ।

सिफारिश (पैरा सं. 21)

समिति ने उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से नोट किया कि निरीक्षण किए गए स्टोर के मूल्य पिछले कुछ वर्षों में 2017-18 में 34407.5 से घटकर 2021-22 में 16287.6 हो गया है, जो स्पष्ट रूप से मूल्य में हो रहे लगातार गिरावट और अधोमुखी प्रवृति का द्योतक है। डीजीक्यूए के एक प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया कि कारखानों में कम उत्पादन और कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों में गिरावट आई है। समिति को यह भी बताया गया कि फील्ड, सेना और सैन्य बलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सशस्त्र बलों के सामने आने वाली कमियों, शिकायतों और कठिनाइयों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत जांच की जाती है।

सरकार का उत्तर

वित्तीय वर्ष 2017-18 से निरीक्षित स्टोरों के मूल्य में गिरावट परिलक्षित हुई है, जैसाकि माननीय समिति द्वारा उल्लेख किया गया है । तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निरीक्षित स्टोरों का मूल्य वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निरीक्षित स्टोरों के मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत है । कोविड-19 महामारी के कारण निर्माणियों में निम्न उत्पादन परिमाण के कारण यह गिरावट आयी है, जैसाकि माननीय समिति को मौखिक साक्ष्य के दौरान पहले ही सूचित किया गया था । वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निरीक्षित स्टोरों के मूल्य के संदर्भ में, यह निवेदन किया जाता है कि प्रदत्त मूल्य अर्थात 16287.60 रुपए 31 दिसंबर, 2022 तक की अवधि के लिए है और सामान्यतः निर्माणियों में उत्पादन वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में जोर पकड़ता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़े, 31 मार्च 2022 तक पूर्व वित्तीय वर्षों में प्राप्त मूल्यों के समान होंगे। इसके अतिरिक्त, गुणता आश्वासन के दृष्टिकोण को अब पूर्व के निरीक्षण आधारित दृष्टिकोण से निवारक आधारित दृष्टिकोण की ओर परिवर्तित किया जा रहा है।

सिफारिश (पैरा सं. 22)

समिति उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए डीजीक्यूए द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया की सराहना करती है जो उत्पाद की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण विश्लेषण करके प्रगतिशील सुधार को सुगम बनाता है । तथापि, समिति इस बात से अवगत है कि विभिन्न उपाय किए जाने के बावजूद, कभी-कभी दोषपूर्ण वस्तुएं सैन्य बलों तक पहुंच जाती हैं । समिति ने अपनी पिछली रिपोर्टों में इस कमी को उजागर किया था । इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि उत्पादन के विभिन्न चरणों में निरीक्षण करते समय न केवल उपयोगकर्ता के विश्वास स्तर को सुनिश्चित करने के लिए बल्कि विभिन्न प्लेटफार्म और उपस्कर के उपयोग में सटीकता प्राप्त करने के लिए भी डीजीक्यूए द्वारा त्रुटिविहीन स्तर प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तभी पैसे की कीमत प्राप्त की जा सकती है ।

सरकार का उत्तर

माननीय समिति को आश्वस्त किया जाता है कि विनिर्माणकर्ता परिसरों में पायी गई कमियों को डीजीक्यूए द्वारा "अंतिम स्वीकृति निरीक्षण" (एफएआई) से पूर्व दूर/प्रतिस्थापित किया जाता है । अंतिम स्वीकृति परीक्षण करते समय पुनरावृत्ति को रोकने तथा शून्य दोष स्तर को प्राप्त करने के लिए डीजीक्यूए द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक कार्यों के आधार पर, विनिर्माण/असेम्बली लाइन के दौरान दोष के कारण को दूर कर लिया जाता है ।

सिफारिश (पैरा सं. 23)

मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों से यह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी और राजस्व बजट के संबंध में समिति को दी गई जानकारी और आंकड़े डीजीक्यूए के आंकड़ों में शामिल हैं या डीजीक्यूए, डीजीएक्यूए (नौसेना) के संबंध में उनकी अलग सांख्यिकीय जानकारी मौजूद है । समिति इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहती है ताकि वे मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों से बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

सरकार का उत्तर

डीजीक्यूए द्वारा प्रदान की गई जानकारी डीजीक्यूए को आवंटित मुख्य शीर्ष 2076-रक्षा सेवा (थलसेना), लघु शीर्ष 109- निरीक्षण संस्थान के अंतर्गत अनुदान (मांग सं. -20) से संबंधित है जिसमें डीक्यूए (नौसेना) और डीक्यूए (युद्धपोत परियोजनाएं) द्वारा किए गए व्यय शामिल हैं । डीजीएक्यूए तथा नौसेना शस्त्र निरीक्षण महानिदेशालय पर किए गए व्यय शामिल नहीं है ।

<u>बजट</u>

सिफारिश (पैरा सं. 24)

समिति गत पांच वर्षों से संबंधित सूचना और इनका विशिष्ट चयन करने के पश्चात् पाई है कि वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व और पूंजी सहित कुल आवंटन 1449.63 करोड़ रुपये या जबकि व्यय की राशि 1377.21 करोड़ रुपये भी। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के दौरान 1551.58 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए जाने पर 1434.92 करोड़ रुपये व्यय किया गया। परवर्ती वर्षो और वर्ष 2021-22 में भी कम व्यय करने का क्रम जारी रहा और एनसीसी 369 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय नहीं कर पाई।

समिति यह भी नोट करती है कि वेतन के अतिरिक्त राजस्व व्यय जिससे स्टोर कैम्प, प्रशिक्षण कार्यकलाप, राजस्व कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन इत्यादि संबंधी अपेक्षाएं पूरी की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान रिजट प्राक्कलन में आवंटित बजट 350.43 करोड़ रुपये था जबकि वर्ष 2022-23 में बजट प्राक्कलन में मात्र 308 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है जो कि पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 42.43 करोड़ रुपये कम है। समिति का विचार है कि

क्रियान्वयन में कमी करने के परिणामस्वरूप एनसीसी के विभिन्न कार्यकलापों और कार्यकरण पर किए जाने वाले व्यय के साथ समझौता करना पड़ेगा साथ ही इसके अहम लक्ष्यों की प्राप्ति में भी कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। समिति इस बात को भलीभांति समझती है कि एनसीसी की भूमिका और इसके दायित्व की प्रकृति विविध है और संगठन राष्ट्रीय अखंडता के आधारभूत स्तर के रूप में कार्य करता है। इसलिए समिति की सिफारिश है कि आवंटन में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि की जानी चाहिए ताकि एनसीसी के प्रशिक्षण और कैम्प की गतिविधियों पर प्रतिकूल असर नहीं हो। समिति आग्रह करती है कि एनसीसी हर संभव उपाय करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में आवंटित धनराशि से कम राशि व्यय नहीं की जाए और मंत्रालय को भी एनसीसी की मांगों को पूरा करने में सहयोगपूर्ण रूख अपनाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एनसीसी को बजट अनुमान स्तर पर राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के तहत क्रमशः 1956.43 करोड़ रु. और 13.00 करोड़ रुपए की बजट धनराशि आवंटित की गई है । राजस्व शीर्ष के तहत आवंटित 1956.43 करोड़ रुपए में से, 308.23 करोड़ रुपए राजस्व गैर वेतन के तहत उपलब्ध है जो पूंजीगत शीर्ष के तहत आवंटित बजट के साथ-साथ एनसीसी के संबंधित बजट धारकों के बीच वितरित कर दिया गया है ।

2. सभी बजट धारकों को संबंधित शीर्षों के तहत उन्हें आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में कड़े अनुदेश जारी किए गए हैं । इसके साथ-साथ, बजट की उचित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य निदेशालयों से मासिक व्यय रिपोर्ट मांगी जा रही हैं और सीजीडीए के अखिल भारतीय मासिक संकलनों से व्यय का भी पता लगाया जा रहा है ।

3. इसके अलावा, उन्हें मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी बजटीय सीमाएं और दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का भी निर्देश दिया गया है ।

4. इस प्रकार एनसीसी, आवंटित बजट का लाभप्रद और इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है ।

सिफारिश (पैरा सं. 25)

समिति एनसीसी कैडेट की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा रोजगार के प्रयोजनार्थ एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों को प्राथमिकता देने के लिए निजी उद्योगों को तत्पर करने में मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की सराहना करती है। इसके फलस्वरूप, समिति यह जानकर प्रसन्न है कि एक कारपोरेट औद्योगिक घराने की ओर से 300 एनसीसी कैडेट को नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा, समिति को ज्ञात हुआ कि कुछ राज्य सरकारें एनसीसी कैडेट को नौकरियों में अधिमान्यता दे रही हैं और एनसीसी कैडेट के लाभप्रद नियोजन हेतु मंत्रालय भी इस विषय को निरंतर उनके

समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों को तेलंगाना राज्य में आयुर्विज्ञान और अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्रवेश में प्राथमिकता दिए जाने के विषय पर एनसीसी के प्रतिनिधियों ने समिति को यह भी जानकारी दी कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है और मंत्रालय इस मामले को जोर-शोर से उठा रहा है। समिति को यह भी जानकारी दी गई कि मर्चेंट नेवी की भर्ती में एनसीसी कैडेट को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। समिति को यह भी जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ सक्रियतापूर्वक और तत्परता से मामले को उठाने के बाद लगभग 1800 महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रम (प्रोग्राम) में क्रेडिट कोर्स के रूप में एनसीसी को शामिल करने पर सहमत हो गए हैं।

मंत्रालय द्वारा इस दिशा में दिए गए प्रयासों की सराहना करते हुए समिति की इच्छा है कि मंत्रालय को और अधिक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम संख्या में एनसीसी कैडेट जिसमें से बहुत से लोगों के पास 'सी' प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है, उन्हें भी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लाभपद नियोजन की सुविधा दी जाए। समिति की इच्छा है कि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ केंद्रित प्रयास और व्यापक परामर्शदायी प्रक्रिया शुरू करना चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त नौकरियों के लिए एनसीसी कैडेट को अधिकतम रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। समिति का मानना है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भविष्य में एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यदि उनके नियोजन के संबंध में निश्चितता हो और उसके साथ-साथ इस बारे में स्पष्ट लक्ष्य सहित सुपरिभाषित रणनीति हो। समिति की गई कार्रवाई का उत्तर प्रस्तुत करते समय इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और इसके परिणामों के बारे में जानना चाहती है।

सरकार का उत्तर

समिति की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है । सैन्य बलों से इतर कैडेटों के रोजगार अवसरों के सृजन के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं । गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में एनसीसी के 'ए','बी' और 'सी' प्रमाणपत्र धारकों के लिए प्रोत्साहनों की शुरूआत की है । इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सटियों द्वारा आयोजित विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीसी कैडेटों के लिए प्रोत्साहनों की शुरूआत की है । यह एनसीसी कैडेटों को मर्चेंट नेवी में रोजगार प्राप्त करने में सहायता करेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर ने एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं ।

<u>एनसीसी और एसएफएल योजना का विस्तार</u>

सिफारिश (पैरा सं. 26)

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर से समिति नोट करती है कि भारत में 18864 ऐसी संस्थाएं हैं जहां विद्यार्थी एनसीसी का विकल्प चुन सकते हैं। इनमें से 13883 संस्थाएं सरकारी हैं और 4981

निजी संस्थाएं हैं। पिछले दो वर्षों में सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों में 1283 संस्थाओं को जोड़ा गया है। समिति के समक्ष विचार-विमर्श के दौरान एनसीसी के महानिदेशक ने जानकारी दी है कि कुल 17 लाख कैडेट के स्थान पर वर्तमान में एनसीसी में 15 लाख कैडेट हैं और कोविड आदि के कारण विद्यालयों के देर से खुलने के कारण यह फासला उत्पन्न हुआ। समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदनों में एनसीसी की सुविधा शुरू करने के इच्छुक संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या का भी विषय उठाया। इन संस्थाओं के नाम पुनः प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं। प्रतीक्षा सूची में संस्थाओं की संख्या बढ़कर 8472 हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एनसीसी युवाओं में चरित्र एवं मैत्रीभाव के साथ-साथ अनुशासन और निःस्वार्थ सेवा भाव की भावना विकसित करती है, समिति सिफारिश करती है कि प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित संस्थाओं के बैकलॉग को यथाशीघ्र समाप्त किया जाए। समिति आशा करती है कि हाल ही में शुरू की गई एसएफएस योजना से निश्चित तौर पर एनसीसी का वित्तीय बोझ घटेगा क्योंकि इसके तहत कैडेट को स्वयं ही प्रशिक्षण संबंधी व्यय वहन करना होगा। समिति एनसीसी निदेशालय द्वारा युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत देशों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 करने तथा प्रशिक्षण में सिमुलेटर्स का समावेश करने जैसे प्रयासों की सराहना करती है।

सरकार का उत्तर

दिनांक 31.03.2022 तक एनसीसी में 17 लाख संस्वीकृत क्षमता की तुलना में 14,81,602 कैडेट नामांकित हैं जिसमे 'फुली सेल्फ फाइनेंस स्कीम' (एफएसएफएस) के अंतर्गत संस्वीकृत 2 लाख कैडेट शामिल हैं। कुल 19860 संस्थाएं एनसीसी के अंतर्गत हैं और 9181 संस्थाएं प्रतीक्षा सूची में हैं । यद्यपि एनसीसी के अंतर्गत संस्थाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, तथापि प्रतीक्षा सूची में संस्थाओं की संख्या कम नहीं हो सकेगी क्योंकि एनसीसी के आवंटन के लिए नए आवेदन वर्ष दर वर्ष प्राप्त होते रहते हैं ।

एफएसएफएस के अंतर्गत 1,54,829 कैडेटों की रिक्तियां उन निजी संस्थाओं को सौंप दी गई थीं जो एनसीसी की प्रचालन लागत को वहन करने के इच्छुक थे । एफएसएफएस के अंतर्गत कम रिक्तियों के कारण कोई भी संस्था प्रतीक्षा सूची में नहीं है ।

<u>एनसीसी में प्रशिक्षक</u>

सिफारिश (पैरा सं. 27)

वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श के दौरान समिति ने नोट किया है कि एनसीसी में प्रशिक्षण क्षमताओं की कमी है। समिति को बताया गया कि प्रशिक्षकों की कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए माननीय पूर्व संसद सदस्य श्री वैजयंत पांडा जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। राष्ट्र-निर्माण में एनसीसी की भूमिका के दृष्टिगत समिति सिफारिश करती है कि प्रशिक्षकों से संबंधित मामलों का यथाशीघ्र समाधान किया जाए और साथ-साथ महाविद्यालय और संस्थागत स्तर पर प्रशासनिक अवसंरचना के विस्तार से संबंधित

मामलों पर भी यथाशीघ्र विचार किया जाए। मंत्रालय सैन्य-सेवाओं से प्रशिक्षकों की कमी का समाधान करने के लिए ईएसएम और असैन्य क्षेत्र के प्रशिक्षकों को शामिल करने पर भी विचार करे।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है ।

<u>सशस्त्र बलों में एनसीसी कैडेट की न्यून चयन दर</u>

सिफारिश (पैरा सं. 28)

समिति नोट करती है कि सशस्त्र बलों में एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारकों विशेष रूप से पुरुष कैडेट के चयन की दर कम है। मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के बीच 500 रिक्तियों की तुलना में केवल 314 पुरुष एनसीसी कैडेटों की भर्ती की गई। इसके अतिरिक्त थल सेना में भी एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारकों की चयन दर काफी कम है क्योंकि इसके अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां खाली हैं। इसी अवधि के दौरान, नौसेना में सी प्रमाण पत्र धारकों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था क्योंकि 12 रिक्तियों में से केवल 2 कैडेटों की नौसेना में अधिकारी के रूप भर्ती की गई। समिति का विचार है कि एक ओर सेना में अधिकारियों की कमी है और दूसरी ओर एनसीसी अपने कैडेटों को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं है। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपनी प्रशिक्षण के तरीकों में सुधार करना चाहिए और नई पद्धति भी विकसित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनसीसी कैडेटों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा चयनित होने में सक्षम बनाने के लिए पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

एनसीसी ने अधिकारी के रूप में एनसीसी कैडेटों के चयन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(क) एसएसबी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बहुस्तरीय स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए यूनिट स्तर पर कैडेटों का चयन ।

(ख) विभिन्न एनसीसी कैम्पों के दौरान प्रेरक कक्षाएं तथा संभावित कैडेटों का चयन ।

(ग) कमीशन-पूर्व एएनओ का प्रशिक्षण और अधिकारी भर्ती योजनाओं और एसएसबी अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर ओटीए में रिफ्रेशर कोर्स ताकि वे कैडेटों का मार्गदर्शन और उन्हे प्रोत्साहित कर सकें।

(घ) एनसीसी राज्य निदेशालयों के 663 चयनित कैडेटों को एसएसबी प्रशिक्षण

अध्याय - तीन

ख. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

अध्याय - चार

ग. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं

<u>अनुसंधान और विकास व्यय</u>

सिफारिश (पैरा सं. 12)

समिति यह नोट करके चिंतिंत है कि पिछले वर्षों के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यय के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दरअसल 2016-17 में यह प्रतिशत 0.088 फीसदी था, जो 2020-21 में घटकर 0.083% फीसदी हो गया है। कुल रक्षा व्यय की तुलना में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय का विश्लेषण करते हुए यह पाया गया कि यह चीन जैसे अन्य विकसित देशों, जो अपने रक्षा बजट की तुलना में अनुसंधान एवं विकास पर अपने संबंधित बजट का 20% और यूएसए 12% खर्च कर रहे हैं, की तुलना में बहुत कम है। समिति का विचार है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए, जहां दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के कारण खतरे की आशंका बढ़ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा हित को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा अनुसंधान के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि रणनीतिक परियोजनाओं को पूरे उत्साह के साथ शुरू किया जा सके।

सरकार का उत्तर

बजट अनुमान 2022-23 में, डीआरडीओ को 21,330.20 करोड़ रुपये (अर्थात् बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में 1,722.76 करोड़ रुपये की वृद्धि) की राशि आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि रक्षा व्यय केन्द्रीय मंत्रालयों में सबसे बड़ा व्यय है। चूंकि, सरकारी संसाधन की निश्चित लागत होती है, इसलिए संसाधनों का आवंटन विभिन्न प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अतः, डीआरडीओ के लिए सकल घरेलू उत्पाद का एक निश्चित प्रतिशत रखना या अन्य देशों के साथ अनुसंधान एवं विकास बजट की तुलना करना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है कि संसाधनों का आवंटन आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। वर्ष के दौरान व्यय, लंबित प्रतिबद्ध देयताओं और महत्वपूर्ण/प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, खतरे की आशंका आदि के आधार पर अनुपूरक/संशोधित अनुमान स्तर पर

अतिरिक्त निधियों की मांग की जाती है। वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं)/सचिव (रक्षा वित्त) और रक्षा सचिव द्वारा समय-समय पर व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजटीय आबंटनों का उपयोग किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि आबंटित निधियों का प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाए। साथ ही, यदि आवश्यक हो तो पुनः प्राथमिकता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं को रक्षा सेवाओं की प्रचालनात्मक तैयारियों के साथ बिना कोई समझौते किए प्राप्त किया जाए।

अध्याय - पांच

घ. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्रतीक्षित हैं

-शून्य-

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री नितेश गंगा देब
3. श्री राहुल गांधी
4. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
5. चौधरी महबूब अली कैसर
6. श्री रतन लाल कटारिया
7. डॉ. रामशंकर कठेरिया
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री एन. रेड्डप्पा
10. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
11. श्री जुगल किशोर शर्मा
12. श्री प्रताप सिम्हा
13. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्य सभा

13. डॉ. अशोक बाजपेयी
14. श्री सुशील कुमार गुप्ता
15. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
16. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
17. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

18. श्रीमती पी.टी. उषा
19. श्री जी.के. वासन
20. ले. जनरल (डॉ.) डी.पी.वत्स (रिटा.)
21. श्री के.सी. वेणुगोपाल

<u>सचिवालय</u>

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3. श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में सूचित किया। इसके बाद समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:-

(i) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20)' के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ii) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;

(iii) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;

(iv) 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा आयोजना (मांग सं. 21) के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन; और

(v) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन ।

3. कुछ विचार-विमर्श के उपरांत समिति ने उपर्युक्त प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया।

****** प्रतिवेदन से संबधित नहीं है । *******

4. समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सुविधानुसार किसी तिथि को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

इसके बाद, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

परिशिष्ट दो

आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं)- नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीआरडीओ) और राष्ट्रीय कैडेट कोर(एनसीसी) (मांग सं. 20) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

1. कुल सिफ़ारिशें 28

2. टिप्पणियां/सिफारिशें/जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय दो):
पैरा सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28

(कुल: 27)
प्रतिशत: 96%

3. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है (अध्याय - तीन):
पैरा सं. -शून्य-

(कुल - शून्य)
प्रतिशत: 00%

4. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं (अध्याय - चार):
पैरा सं. 12

(कुल: 01)
प्रतिशत: 4%

5. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्रतीक्षित हैं (अध्याय पाँच):
पैरा सं. -शून्य-

(कुल - शून्य)
प्रतिशत: 00%